रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)--72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 1980/अग्रहायण 20, 1902
No. 394] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 1980/AGRAHAYANA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1980

सा०का०नि० 691(अ).—केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—इन नियमों का नाम पासपोर्ट नियम, 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं .—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से पासपोर्ट अधिनियम, 1967 अभिप्रेत है,

(ख) "प्रारूप" से अनुसूची-III में दिया गया प्रारूप अभिप्रेत है,

(ग) किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बारे में "प्रकीर्ण सेवा" के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात् :—

(i) किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में प्रविष्टियों का परिवर्तन,

(ii) विदेशों की बाबत किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में अतिरिक्त पृष्ठांकन करना,

(iii) जब किसी विद्यमान पासपोर्ट पुस्तिका के सभी पृष्ठ लगभग समाप्त हो चुके हैं तब अनुपूरक पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पुस्तिका जारी करना, या

(iv) किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की बाबत कोई अन्य सेवा करना जिसकी उसका धारक अपेक्षा करे,

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है,

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. पासपोर्ट प्राधिकारी .—(1) केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अनुसूची 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अधिनियम और इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी होंगे ।

(2) अनुसूची 1 के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों में मामूली तौर से निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए आवेदनों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करेगा :

परन्तु अपवादिक और अर्जेंट मामलों में उक्त अधिकारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के जारी किये जाने के लिए भारत के किसी अन्य

राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाले किसी व्यक्ति से आवेदन ग्रहण कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार की अनुमति के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकेगा और आवेदन को उस पासपोर्ट प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगा जिसकी उस राज्य क्षेत्र में अधिकारिता है जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर से निवास करता है :

परन्तु यह और भी कि पासपोर्ट के लिए आवेदन का पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई ऐसा अन्तरण नहीं किया जाएगा यदि आवेदक ने उस स्थान से जहां का वह मूल रूप से निवासी था, उस पासपोर्ट प्राधिकारी की अधिकारिता के अधीन, जिसने पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पासपोर्ट जारी किया था, राज्य क्षेत्र के भीतर बस जाने के आशय से प्रवास कर लिया है ।

4. उन वर्गों के व्यक्ति जिन्हें विभिन्न वर्ग के पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे .—उन वर्गों के व्यक्ति जिनको धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट वर्ग के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे वे होंगे जो अनुसूची-II के यथास्थिति, भाग I या भाग II में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. आवेदनों का प्ररूप .—पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज या उसके नवीकरण या किसी अन्य प्रकीर्ण सेवा के लिए आवेदन उसके लिए अनुसूची-III के भाग I में दिए गए उपयुक्त प्ररूप में और ऐसे प्ररूप में दी गई प्रक्रिया और अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के दौरान कोई पासपोर्ट प्राधिकारी किसी आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या प्रमाणपत्रों की अपेक्षा कर सकता है जो आवेदन के उचित निपटारे के लिए ऐसा प्राधिकारी आवश्यक समझे ।

6. वित्तीय प्रत्याभूति .—(1) साधारण पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए आवेदन के साथ अनुसूची-III के भाग II में दिए गए प्ररूप में निष्पादित एक वित्तीय प्रत्याभूति भी होगी :

परन्तु किसी आवेदक के मामले में ऐसी प्रत्याभूति आवश्यक नहीं होगी यदि वह :

(i) किसी संसद सदस्य या किसी राज्य, संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य या किसी राज्य विधान परिषद् के सदस्य या दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्य, या किसी अधिकारी जो सरकार के उप सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का अधिकारी न हो या किसी प्रथमवर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिला मजिस्ट्रेट का इस प्रभाव का प्रमाणपत्र दे देता है कि उसने अपना यह समाधान कर लिया है कि आवेदक की वित्तीय स्थिति अच्छी है;

(ii) आय-कर या सम्पत्ति-कर या कृषि आय कर देता है;

(iii) किसी राजस्व प्राधिकारी से, जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो इस प्रभाव का शोधनक्षमता प्रमाण-पत्र पेश करता है कि आवेदक 10,000 रुपये या उससे अधिक तक वित्तीय रूप से शोधनक्षम है;

(iv) किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने पक्ष में जारी किया गया प्रवेश परमिट लेता है;

(v) उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) के अधीन भारत के बाहर जाता है और उस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है;

(vi) नियोजन बाउचर पर या नियोजन की प्रस्थापना पर भारत के बाहर जाता है;

(vii) छात्रवृत्ति या प्रशिक्षावृत्ति पर भारत से बाहर जाता है;

(viii) विदेशों में तीर्थ यात्रा पर या पड़ोसी विदेशों में यात्रा पर जाता है,

(ix) किसी विदेश को और वहां से वापसी यात्रा के संबंध में टिकट पेश करता है;

(x) किसी विदेश में आवेदक के निम्नलिखित नातेदारों को मिलने के लिए जाता है, अर्थात् पिता, माता, पति, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र या पुत्री और आवेदक के ऐसे नातेदार द्वारा प्रायोजन घोषणा पेश करता है जो (क) स्थानीय सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष हस्ताक्षरित है और उस देश में भारतीय मिशन या पोस्ट के कौंसलीय आफिसर द्वारा सत्यापित या (ख) भारतीय मिशन के कौंसलीय आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित है;

(xi) अवयस्क होने हुए अपने माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ, जो पूर्वगामी खण्डों में से किसी की अपेक्षानुसार वित्तीय प्रत्याभूति देने से छूट प्राप्त है, जाता है :

परन्तु यह और कि विदेश में मौजूद आवेदक की बाबत ऐसी कोई प्रत्याभूति आवश्यक नहीं होगी यदि :—

(i) विदेश में पासपोर्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उसके पास अपने भरण-पोषण के लिए विदेश में पर्याप्त साधन हैं; या

(ii) उसे मूल पासपोर्ट जारी करने के समय वित्तीय प्रत्याभूति पेश करने से छूट दी गई थी ।

2. प्रत्याभूति दाता द्वारा वित्तीय प्रत्याभूति तब तक वापस नहीं ली जाएगी जब तक कि प्रत्याभूति के अनुसरण में भारत सरकार को संदेय या प्रतिपूर्ति योग्य सभी खर्चे, प्रभार और व्यय पूर्ण रूप से नहीं चुका दिये जाते हैं या जब तक कि पासपोर्ट धारक द्वारा नई स्वीकृति योग्य प्रत्याभूति नहीं दे दी जाती है ।

7. नामित विदेश .—निम्नलिखित देशों में से प्रत्येक धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए नामित विदेश होगा, अर्थात् :—

(i) बंगला देश, और

(ii) श्री लंका

8. आवेदनों के लिए संदेय फीस .—अनुसूची IV के स्तम्भ (2) में वर्णित प्रत्येक आवेदन के लिए फीस वह होगी जो उस अनुसूची के यथास्थिति स्तम्भ (3), (4) या (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट करों पर संदेय है ।

9. फीस का संग्रहण .—ऐसे आवेदनों की बाबत संदेय सभी फीस सम्बन्धित पासपोर्ट प्राधिकारी को मनीआर्डर द्वारा भेजी जाएगी या उसके काउन्टर पर सकद जमा की जाएगी या पासपोर्ट फीस टिकट आवेदन पत्र पर चिपका कर दी जाएगी । कूपन या रसीद में उन विशिष्टियों का कथन करना चाहिए जिन की बाबत ऐसी फीस भेजी गई है या जमा की गई है ।

10. फीस का प्रतिदाय .—यदि जमा करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन किया जाता है तो निम्नलिखित दशाओं में फीस का प्रतिदाय किया जाएगा :—

(i) यदि फीस को जमा कराने के पश्चात् कोई व्यक्ति, यथास्थिति पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए अथवा उसके द्वारा पहले ही धारित पासपोर्ट या दस्तावेज पर किसी सेवा के लिए आवेदन नहीं करता है;

(ii) यदि संदत्त फीस विहित फीस से अधिक है; और

IndiaCode

(iii) यदि फीस ऐसी सेवा के लिए संदत्त की गई है जिसके लिए कोई फीस विहित नहीं की गई है।

11. पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के प्ररूप.—अधिनियम के अधीन जारी किया गया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज अनुसूची III के भाग III में दिए गए उपयुक्त प्ररूप में होगा।

12. पासपोर्टों या यात्रा दस्तावेजों की अस्तित्वावधि.—(1) साधारण पासपोर्ट जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(2) भारत-अनुदेश पासपोर्ट जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(3) भारत, श्रीलंका पासपोर्ट जारी किए जाने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(4) आपात प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(5) पहचान पत्र जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(6) राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार या उस पासपोर्ट अधिकारी द्वारा जो पासपोर्ट जारी करता है विनिश्चित की जाने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

परन्तु यह कि राजनयिक या सरकारी पासपोर्ट की कुल अवधि जारी किए जाने की तारीख से दस वर्ष की होगी।

13. विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का जारी किया जाना.—पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारण करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह अपने द्वारा पहले ही धारित पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को पासपोर्ट प्राधिकारी को समर्पित नहीं कर देता है:

परन्तु यदि ऐसे देशों में उसके परिदर्शन को सुकर बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो एक ही व्यक्ति को विभिन्न देशों की बाबत पृथक पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे।

14. अपील प्राधिकारी.—अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए वह अपील प्राधिकारी जिसको नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आदेश से अपील होगी वह होगा जो उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और प्रत्येक ऐसी अपील उस आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है आवेदक को संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

सारणी

आदेश, जिनके विरुद्ध अपील की गई	अपील प्राधिकारी
1	2
1. केन्द्रीय सरकार से भिन्न पासपोर्ट प्राधिकारी का निम्नलिखित धाराओं के अधीन आदेश—	मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
(i) धारा 5 की उपधारा (2) का खण्ड (ब) या खण्ड (ग) या	
(ii) धारा 7 के परन्तुक का खण्ड (ब) या	
(iii) धारा 10 की उपधारा (1) या उपधारा (3)।	
2. उस प्राधिकारी का धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन आदेश जिसका पासपोर्ट प्राधिकारी अधीनस्थ है।	अवर सचिव या सचिव विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

15. अपील का आवेदन संदेय फीस :—अपील के लिए प्रत्येक याचिका के साथ पच्चीस रुपए की फीस होगी जो खजाने में नकद संदत्त की जाएगी और रसीदी चालान की एक प्रति ऐसी याचिका के साथ भेजी जाएगी।

16. अपील प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.—अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी से जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और अपीलार्थी को अपने मामले का अध्यावेदन करने के लिए उचित अवसर देने के पश्चात अंतिम आदेश पारित कर सकेगा।

17. धारा 19 के अधीन विशेष पृष्ठांकन के लिए प्राधिकारी और प्ररूप.—

(1) धारा 19 के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी, पासपोर्ट प्राधिकारी होगा।

(2) धारा 19 में निर्दिष्ट प्रत्येक विशेष पृष्ठांकन निम्नलिखित प्ररूप में होगा, अर्थात् :—

प्ररूप

यह पासपोर्ट इस पृष्ठांकन की तारीख से दिन, मास की अधिकतम अवधि के लिएकी यात्रा या परिदर्शन के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 19 के अधीन इसके द्वारा विधिमान्य किया जाता है।

18. पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का निरीक्षण.—धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे—

(i) कोई पासपोर्ट प्राधिकारी;

(ii) कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो; और

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त समक्ष कोई सीमा-शुल्क अधिकारी।

19. पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के लिए शर्तें.—शर्तें जिनके अधीन कोई पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किया जाएगा या नवीकृत किया जाएगा वे होंगी जो अनुसूची V में दी गई है।

20. निरसन.—पासपोर्ट नियम, 1967 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है।

परन्तु ऐसा निरसन उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात या अर्जित, स्वीकृत या उपगत किसी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची 1

(नियम 3 देखिए)

क्र०सं०	पासपोर्ट प्राधिकारी	अधिकारिता
1	2	3
1.	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अहमदाबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद) ।	गुजरात राज्य और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
	(ख) सहायक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अहमदाबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, अहमदाबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, अहमदाबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद)	–यथोक्त–
2.	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, कलकत्ता)	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य ।
	(ख) जन सम्पर्क अधिकारी, कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय कलकत्ता)	–यथोक्त–
	(ग) अधीक्षक, कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, कलकत्ता)	–यथोक्त–
3.	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, नई दिल्ली) ।	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, नई दिल्ली) ।	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, नई दिल्ली)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, नई दिल्ली)	–यथोक्त–
4. (i)	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)	पंजाब राज्य (जलन्धर, कपूरथला, होशियारपुर, अमृतसर और गुरदासपुर जिलों को छोड़कर और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र)
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, चंडीगढ़ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, चंडीगढ़ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)	–यथोक्त–
4. (ii)	(क) पासपोर्ट अधिकारी, जलन्धर (पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, जलन्धर)	पंजाब राज्य में जलन्धर, कपूरथला, होशियारपुर, अमृतसर तथा गुरदासपुर जिले ।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, जलन्धर (पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, जलन्धर)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, जलन्धर (पासपोर्ट और उत्प्रवासन, कार्यालय, जलन्धर)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, जलन्धर (पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, जलन्धर)	–यथोक्त–
5.	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मद्रास)	तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी (माहे जिला को छोड़कर) संघ राज्य क्षेत्र ।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मद्रास)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मद्रास)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मद्रास)	–यथोक्त–
6. (i)	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, कोचीन)	केरल राज्य (केनानोर, कोजीकोड, मलापुरम और पालघाट जिलों को छोड़कर) और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, कोचीन)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, कोचीन)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, कोचीन)	–यथोक्त–
6. (ii)	(क) पासपोर्ट अधिकारी, कोजीकोड (पासपोर्ट कार्यालय, कोजीकोड)	केरल राज्य में केनानोर, कोजीकोड, मलापुरम और पालघाट जिले और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे जिला ।
	(ख) जन सम्पर्क अधिकारी, कोजीकोड (पासपोर्ट कार्यालय, कोजीकोड)	–यथोक्त–
	(ग) अधीक्षक, कोजीकोड (पासपोर्ट कार्यालय कोजीकोड)	–यथोक्त–

IndiaCode

1	2	3
7.	(क) पासपोर्ट अधिकारी, मुम्बई (पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मुम्बई)	महाराष्ट्र राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, मुम्बई (पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मुम्बई)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, मुम्बई (पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मुम्बई)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, मुम्बई (पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मुम्बई)	–यथोक्त–
8.	(क) पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	उत्तर प्रदेश राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	–यथोक्त–
9	(क) पासपोर्ट अधिकारी, हैदराबाद (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	आन्ध्र प्रदेश राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, हैदराबाद (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, हैदराबाद (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, हैदराबाद (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	–यथोक्त–
10.	(क) पासपोर्ट अधिकारी, बंगलौर (पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर)	कर्नाटक राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, बंगलौर (पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, बंगलौर (पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, बंगलौर (पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर)	–यथोक्त–
11.	(क) पासपोर्ट अधिकारी, जयपुर (पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर)	राजस्थान राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, जयपुर (पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर (पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, जयपुर (पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर)	–यथोक्त–
12.	(क) पासपोर्ट अधिकारी, भोपाल (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	मध्य प्रदेश राज्य
	(ख) जन सम्पर्क अधिकारी, भोपाल (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	–यथोक्त–
	(ग) अधीक्षक, भोपाल (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	–यथोक्त–
13.	(क) पासपोर्ट अधिकारी, भुवनेश्वर (पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर)	उड़ीसा राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, भुवनेश्वर (पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, भुवनेश्वर (पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, भुवनेश्वर (पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर)	–यथोक्त–
14.	(क) पासपोर्ट अधिकारी, पटना (पासपोर्ट कार्यालय, पटना)	बिहार राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, पटना (पासपोर्ट कार्यालय, पटना)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, पटना (पासपोर्ट कार्यालय, पटना)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, पटना (पासपोर्ट कार्यालय, पटना)	–यथोक्त–
15.	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, गोहाटी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोहाटी)	असम, नागालैण्ड, मेघालय तथा मणिपुर राज्य और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोहाटी)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, गोहाटी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोहाटी)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, गोहाटी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोहाटी)	–यथोक्त–
16.	(क) पासपोर्ट अधिकारी, श्रीनगर (पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर)	जम्मू और कश्मीर राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, श्रीनगर (पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर)	–यथोक्त–
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, श्रीनगर (पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर)	–यथोक्त–
	(घ) अधीक्षक, श्रीनगर (पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर)	–यथोक्त–
17.	(क) मुख्य सचिव, गोवा, दमण और दीव सरकार, पणजी।	गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र

IndiaCode

1	2	3
	(ख) पास पोर्ट अधिकारी, गृह विभाग (पासपोर्ट) गोवा, दमण और दीव सरकार, पणजी	गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र
18.	(क) मुख्य आयुक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
	(ख) उपायुक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, पोर्टब्लेयर	—यथोक्त—
	(ग) मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर	—यथोक्त—
	(घ) न्यायिक सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर	—यथोक्त—
	(ङ) सहायक सचिव, (गोपनीय शाखा) अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर	—यथोक्त—
19.	विदेश स्थित भारतीय मिशनों या पोस्टों के कौंसलीय आफिसर अथवा कौंसलीय अभिकर्त्ता	संबंधित भारतीय मिशन अथवा पोस्टों की कौंसलीय अधिकारिता में आने वाला क्षेत्र
20.	(क) उप सचिव (पी० वी० खण्ड), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	राजनयिक और सरकारी पासपोर्टों के मामले में सम्पूर्ण भारत
	(ख) अवर सचिव, पी० वी० खण्ड, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	—यथोक्त—
	(ग) अनुभाग अधिकारी, पी० वी० खण्ड, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	—यथोक्त—

अनुसूची—II

(नियम 4 देखिए)

भाग—I पासपोर्ट

पासपोर्टों के वर्ग	व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें जारी किया जा सकता है
1	2
1. साधारण पासपोर्ट	भारत के नागरिक
2. भारत बंगलादेश पासपोर्ट	—यथोक्त—
3. भारत-श्रीलंका पासपोर्ट	—यथोक्त—
4. भारत-श्रीलंका पासपोर्ट (1964 और 1974 के करारों के अधीन देश-प्रत्यावर्तियों के लिए)	वे व्यक्ति जिन्हें भारत-श्रीलंका सप्रत्यावर्तन करार 1964 और 1974 के अधीन भारतीय नागरिकता दी गई है।
5. सरकारी पासपोर्ट	(i) सरकारी पदधारी और गैर-सरकारी व्यक्ति जब उनकी यात्रा के लिए किराया सरकार द्वारा संदत्त किया जाता है और उनके कुटुम्बों के ऐसे सदस्य भी जो सरकार के खर्चे पर भारत से बाहर जाते हैं।
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों, राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रमों और अन्य संस्थाओं के पदधारी और राज्य द्वारा स्थापित स्वशासीय निकायों के पदधारी जो अपनी संस्थाओं के शासकीय कर्तव्य पर भारत से बाहर जाते हैं और उनके कुटुम्बों के सदस्य जब ऐसे सदस्य भी ऐसी संस्थाओं के खर्चे पर भारत से बाहर जाते हैं।
	(iii) विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसके विशिष्ट अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर और अन्य अन्तर-सरकारी संगठनों/अभिकरणों के जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, के स्थायी सरकारी पदधारी और उनके कुटुम्बों के सदस्य, परन्तु यह तब जब ऐसी प्रतिनियुक्ति भारत सरकार के माध्यम से की जाती है।
	(iv) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों और अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए या स्थायी रूप से या तत्समय प्रवृत्त किसी छात्रवृत्ति स्कीम के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा या उनके विभागों द्वारा प्रायोजित सरकारी पदधारी। परन्तु यह तब जब भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति कर्तव्य मानी जाती है और सरकारी पदधारी भारत में अपना कर्तव्य वेतन और भत्ते लेने के लिए अनुज्ञात किए जाते हैं और ऐसे पदधारी के, जो भारत के बाहर कम से कम बाहर मास के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, कुटुम्ब के सदस्य जब ये ऐसे पद धारी के साथ यात्रा करते हैं या विदेश में उसके पदस्थान पर उसके साथ रहते हैं।
	(v) भारतीय विदेश सेवा (शाखा ख) के अधिकारी की पूर्ण रूप से आश्रित माता/पिता/सास/भाई/बहिन और भारतीय विदेश सेवा (शाखा क) के अधिकारी की पूर्ण रूप से आश्रित सास/भाई/बहिन जब वे सरकार की मंजूरी से अधिकारी के विदेश में तैनाती के स्थान पर अधिकारी के साथ रहने के लिए भारत के बाहर जाते हैं।
	(vi) कोई अन्य व्यक्ति जिसे भारत सरकार की राय में विदेश में कर्तव्य की प्रकृति के कारण सरकारी पासपोर्ट मिलना चाहिए।

टिप्पण :—निम्नलिखित व्यक्ति, सरकारी पासपोर्ट जारी किए जाने के हकदार नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों और अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए या अध्ययन के लिए या स्वतंत्र रूप से या तत्समय प्रवृत्त किसी छात्रवृत्ति स्कीम के अधीन किसी प्रशिक्षण के लिए किसी सरकारी विभाग द्वारा प्रायोजित व्यक्ति, जब ऐसे व्यक्ति अध्ययन छुट्टी पर या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी पर जाते हैं ;

IndiaCode

1	2
	(ख) ऐसे व्यक्ति जो वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर अपने खर्चे पर जाते हैं चाहे सरकार का कोई विभाग यह प्रमाणित करता है कि ऐसा प्रयोजन सरकार के हित में होगा।
6. राजनयिक पासपोर्ट :—	
	(i) (क) भारतीय विदेश सेवा (शाखा क) के अधिकारी जब वे शासकीय कारोबार पर भारत से बाहर जाते हैं।
	(ख) भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के और विदेश मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों या भारत सरकार के विभागों के अन्य अधिकारी जो शासकीय कारोबार पर बाहर जाते हैं विदेश में भारतीय मिशनों या पोस्टों पर तैनात किए जाते हैं, जो विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं।
	(ग) ऊपर (क) और (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी की यथास्थिति, पत्नी या शासकीय यजमानित या पति, 21 वर्ष की आयु से कम के आश्रित पुत्र और आश्रित अविवाहिता पुत्रियां आश्रित पिता, और आश्रिता माता जब वे ऐसे अधिकारी के साथ यात्रा करते हैं या विदेश में उसके पद स्थान पर उसके साथ रहते हैं।
टिप्पण : (i) किसी अधिकारी को, जो विदेश में राजनयिक पद वास्तव में धारण करता है, ऊपर (ग) में निर्दिष्ट कुटुम्ब के किसी सदस्य को अधिकारी के प्रत्यायन के देश से भिन्न देश में अध्ययन के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य प्रयोजनों के लिए, ठहरने के लिए राजनयिक पासपोर्ट जारी किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे मामले में जारी किया गया राजनयिक पासपोर्ट, अधिकारी के राजनयिक कर्तव्य की समाप्ति पर या जब अधिकारी मुख्यालय में वापस तैनात किये जाते है, समर्पित किया जाएगा।	
	(ii) (क) ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनयिक प्रास्थिति है या उसे उसके विदेशी कर्तव्य के कारण या उसके पद के कारण, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, राजनयिक प्रास्थिति दी गई है।
	(ख) ऊपर (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति की, यथास्थिति, पत्नी या पति जब वह उक्त व्यक्ति के साथ जाता है।

भाग II यात्रा दस्तावेज

यात्रा दस्तावेजों के वर्ग	व्यक्ति के वर्ग जिन्हें जारी किया जा सकता है
1	2
1 आपाती प्रमाण-पत्र	(i) विदेश में भारत के नागरिक जिन्हें पासपोर्ट इंकार किया जा चुका है या जिनके पासपोर्ट परिसमाप्त या प्रतिसंहृत किए जा चुके हैं या जो भारत में संप्रत्यावर्तित किए जाते हैं।
	(ii) वे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिकता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेश किया है किन्तु अतिरिक्त सत्यापन के बिना पासपोर्ट जारी करने के औचित्य के लिए वह साक्ष्य अपर्याप्त समझा जाता है।
	(iii) विदेश में भारत के नागरिक जिन के पासपोर्ट खो गए हैं, चोरी हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए है और जिन्हें जारी करने वाले कार्यालयों को उनकी पासपोर्ट विशिष्टियों के सत्यापन के लिए निर्देश किए बिना नए पासपोर्ट जारी नहीं किए जा सकते हैं।
	(iv) विदेश में भारतीय उद्भव के व्यक्ति जब उन्हें भारत में बसने के लिए आने की अनुज्ञा दी जाती है।
2. पहचान प्रमाण पत्र—	(i) भारत में निवास कर रहे राज्य विहीन व्यक्ति, विदेशी जिनके देश को भारत में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है या जिन की राष्ट्रीय प्रास्थिति संदेहपूर्ण है।
	(ii) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंधों के प्रवर्तन से धारा 22 के अधीन छूट प्राप्त व्यक्ति।

अनुसूची III

(नियम 5, 6 और 11 देखिए)

भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ई, ए (पी) 1

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

पासपोर्ट आवेदन पत्र प्ररूप

(साधारण और भारत-श्रीलंका पासपोर्टों के लिए)

पासपोर्ट शुल्क डाकटिकट लगाने के लिए स्थान

चेतावनी . जानबूझकर मिथ्या जानकारी देना या कोई तात्विक जानकारी छिपाना पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन अपराध है।

इस आवेदन पत्र प्ररूप का उपयोग किसी भी वयस्क व्यक्ति द्वारा अपने लिए या माता-पिता/विधिक संरक्षक के रूप में 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को साधारण अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट/भारत-श्रीलंका पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए किया जा सकता है।

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए
पासपोर्ट कार्यालय/स्टेट बैंक काउंटर पर संदाय के लिए रसीद सं० तारीख रोकड़िये के आद्याक्षर

सेवा में,
पासपोर्ट अधिकारी
(यहां कार्यालय का नाम भरें)
क० फीस :
1. जमा की गई रकम रु०
2. जमा करने की तारीख

IndiaCode

3. आपने किस प्रकार इसको जमा किया है—

(क) (पासपोर्ट फीस स्टाम्प द्वारा)	(ख) (पासपोर्ट कार्यालय काउंटर पर)	(ग) (पासपोर्ट कार्यालय में स्टेट बैंक काउंटर पर)	(घ) (मनीआर्डर द्वारा रसीद संलग्न की जाएगी।)

ङ. फोटो

कुल पांच प्रतियां अपेक्षित हैं—एक यहां चिपकाई जाएगी और चार आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जानी है। फोटो का आकार 50 मि० मी० × 60 मि० मी० से कम नहीं होनी चाहिए और उसमें पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए।

कृपया फोटो के सामने के भाग पर कोई चिन्ह न लगाएं।

फोटो चिपकाने का स्थान

ग. आवेदक/अवयस्क की विशिष्टियां जिसके लिए पासपोर्ट अपेक्षित है :

1. साफ अक्षरों में पूरा नाम
(कृपया आद्यक्षरों का प्रयोग न करें)

2. यदि आवेदक विवाहिता/विधवा स्त्री है तो विवाह से पूर्व का नाम

3. उपनाम (यदि कोई हो)

4. (क) क्या आपने कभी अपना नाम बदला है ?
(ख) यदि हां, तो आपका पहले का नाम क्या था ?

5. जन्म की तारीख ——— ——— ———
तारीख मास वर्ष

6. जन्म-स्थान ——— ——— ———
(ग्राम/नगर) (जिला) (राज्य)

7. पिता का पूरा नाम
(कृपया आद्यक्षरों का प्रयोग न करें)

8. यदि आवेदक विवाहिता/विधवा स्त्री है तो पति का पूरा नाम

घ. वैयक्तिक विवरण :

1. व्यवसाय और वर्तमान उपजीविका

2. ऊंचाईमी०सें० मी०

3. आंखों का रंग

4. बालों का रंग

5. पहचान के प्रकट चिह्न

ङ. पासपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बालक

बालक का नाम	जन्म स्थान	जन्म की तारीख	आवेदक से नातेदारी
1.			
2.			
3.			

कृपया बालकों के जन्म प्रमाणपत्रों की या विद्यालय से उनकी आयु के प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें

च. पता :

1. स्थाई पता : ——— ———
(गृह सं०/गली) (ग्राम/नगर)
——— ———
(जिला) (राज्य)

2. (क) वर्तमान पता :
——— ———
(गृह सं०/गली) (ग्राम/नगर)
——— ———
(जिला) (राज्य)

(ख) यदि आप ऊपर दिए गए पते पर पिछले दो वर्ष से लगातार नहीं रह रहे हैं तो कृपया उन स्थानों के पते दीजिए जिन स्थानों पर आप इस अवधि में रहे हैं :

3. उस नातेदार का नाम और पता दीजिए जिसे पासपोर्ट धारक को विदेश में कोई कठिनाई होने की दशा में सूचित किया जा सके :
नाम
नातेदारी
पूरा पता
फोन नं० यदि कोई

छ. नागरिकता :

1. (क) क्या आपने कभी कोई अन्य नागरिकता प्राप्त की थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या आपने भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रीकरण द्वारा या देशीयकरण द्वारा प्राप्त की थी ?

(यदि आप पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं तो नागरिकता दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

2. (क) यदि आप विवाहिता/विधवा स्त्री हैं तो क्या आपके पति भारतीय नागरिक हैं/थे ?

(ख) यदि ऊपर (क) उत्तर "नहीं" में है तो आपके पति की राष्ट्रिकता क्या है / थी और उनसे आपका विवाह कब हुआ था ?

3. (क) क्या आप किसी ऐसे स्थान से आए हैं जो पाकिस्तान या बंगलादेश में है ?

(ख) यदि हां, तो आप किस देश से और कब आए हैं ?

4. (क) क्या आप का जन्म भारत, पाकिस्तान या बंगलादेश से भिन्न किसी देश में हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो आपके पिता की नागरिकता क्या थी ?
(i) आपके जन्म के समय; और
(ii) 26-1-1950 को

(ग) आपके पिता का जन्म स्थान क्या है ?

5. क्या आपके पिता ने कोई अन्य नागरिकता प्राप्त की थी ?
(क) यदि हां, तो किस राष्ट्र की ; और
(ख) कब ?

Indiacode

ज. पहला पासपोर्ट

1. क्या आपने पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज के लिए पहले कभी आवेदन किया है ?

2. यदि पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज जारी किया गया था तो निम्नलिखित ब्यौरे दें और पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज संलग्न करें :—

संख्या—

जारी करने की तारीख :

जारी करने का स्थान :

3. यदि पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है तो बताएं इसका क्या हुआ ?

4. कृपया अपने द्वारा प्राप्त किए गए सरकारी पत्र की एक प्रति संलग्न करें ; यदि

(i) आपको पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज देने से पहले इन्कार किया गया था और अस्वीकृति का आदेश बाद में बिना किसी शर्त के वापस नहीं लिया गया था/रद्द नहीं किया गया था; या

(ii) आपका पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज पहले परिबद्ध किया गया था और बाद में बिना शर्त आपको वापस नहीं किया गया था ।

5. यदि आपका नाम आपके माता या पिता के पासपोर्ट में सम्मिलित था तो नाम कटाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें या पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज नाम कटाने के लिए प्रस्तुत करें ।

झ. **पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 के अधीन अपेक्षित जानकारी :**

1. क्या इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने की तारीख से ठीक पांच वर्ष पूर्व की अवधि में किसी सांविधिक अपराध के लिए किसी समय भारत के किसी न्यायालय में आप दोषी सिद्ध हुए थे और कारावास से दण्डादिष्ट किए गए थे ?

2. क्या भारत के किसी दण्ड न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही लम्बित है ?

3. क्या किसी न्यायालय द्वारा आपको न्यायालय में पेश होने के लिए वारंट या समन या आपकी गिरफ्तारी के लिए वारंट या आपको भारत से बाहर जाने से प्रतिषिद्ध करने के लिए कोई आदेश जारी किया गया है ?

4. (क) क्या आपको कभी सरकारी खर्च पर विदेश से संप्रत्यावर्तित किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या आपने सरकार को उपगत खर्च का प्रतिसंदाय कर दिया है ?

यदि ऊपर प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर "हां" में है तो कृपया अलग कागज पर सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

ञ. **केवल सरकारी/पब्लिक सैक्टर कर्मचारियों के लिए :**

1. क्या आप केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, कानूनी निकाय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में कार्य कर रहे हैं ?

2. यदि हां, तो अपने कार्य के पूरे ब्यौरे और नियोजक के कार्यालय का पूरा पता और अपने नियोजक से एक "आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र" मूल रूप में संलग्न करें ।

ट. **पूरक जानकारी :**

1. आप किन-किन देशों का परिदर्शन करना चाहते हैं ?

2. आपके परिदर्शन का उद्देश्य क्या है ?
(अध्ययन, व्यापार, पर्यटन, तीर्थयात्रा, नियोजन आदि)

3. आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं ?
(i) साधारण
(ii) व्यावसायिक/तकनीकी

ठ. **परिचित व्यक्ति :**

अपने परिक्षेत्र के ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते दें जो आपकी जमानत देने को तैयार हों

1.

2.

ड. **आवेदक की घोषणा :**

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि :

(i) मैंने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है ;

(ii) मैंने भारत की अपनी नागरिकता नहीं खोई है, उसका परित्याग नहीं किया है और न ही मैं इससे कभी वंचित किया गया हूं ; और

(iii) इस प्ररूप में दिए गए प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

टिप्पण : कृपया अंत में दिए गए स्थान पर अपने नमूने के हस्ताक्षर करें ।

ढ. **यदि पासपोर्ट अवयस्क व्यक्ति के लिए है तो माता-पिता या विधिक संरक्षक की घोषणा :**

मैं प्रतिज्ञा न करता/करती हूं कि उपरोक्त विशिष्टियां
जो का पुत्र/पुत्री है,
के संबन्ध में हैं जिस का/की मैं माता-पिता/विधिक संरक्षक हूं :

मैं उसके खर्चे को पूरी जिम्मेदारी लेता/लेती हूं ।

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि उसने कभी अपनी नागरिकता नहीं खोई है, उसका परित्याग नहीं किया है और न ही वह इस से कभी वंचित किया गया/की गई है और इस आवेदन पत्र में उसके सम्बन्ध में दी गई जानकारी सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

ण. **सत्यापन प्रमाण-पत्र :**

(यह प्रमाण-पत्र पासपोर्ट प्राप्त करने की पूर्व शर्त नहीं है)

1. मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस बाबत अपना समाधान कर लिया है कि अपरोक्त पासपोर्ट आवेदन-पत्र में श्री/श्रीमती/कुमारी जो का पुत्र/पत्नी/पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं ने जो विशिष्टियां दी हैं वे सही हैं ।

मैं आवेदक को पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति समझता हूं । मैंने अपना यह समाधान कर लिया है कि आवेदक भारत का नागरिक है ।

2 मैंने अपना समाधान कर लिया है कि आवेदक की आर्थिक स्थिति अच्छी है ।

टेलीफोन — हस्ताक्षर
कार्यालय : — साफ अक्षरों में नाम
निवास : — पदनाम
स्थान : — कार्यालय की मुहर
तारीख :

टिप्पण : यदि सत्यापन प्राधिकारी यह प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है कि आवेदक की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह सत्यापन प्रमाण-पत्र से पैरा 2 को हटा सकता है । ऐसी दशा में आवेदक को वित्तीय प्रत्याभूति प्रस्तुत करनी होगी जब तक कि उसे पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 6 के अधीन ऐसा करने से अन्यथा छूट नहीं दे दी गई है ।

चेतावनी

यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस पर अच्छी तरह सोच-विचार कर के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए । (इस पर किसी संसद सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य या महानगर परिषद्, दिल्ली के सदस्य या किसी अधिकारी जो पंक्ति में सरकार के उप-सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है या उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे)

आवेदक के अवयस्क के जिसके निमित्त आवेदन किया जाता है नमूने के दो हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे के चिन्ह (यदि पुरुष हो) या दाएं हाथ के अंगूठे के चिन्ह (यदि स्त्री हो) ।

1.

2.

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ई० ए० (पी०) 2

भारत सरकार

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट आवेदन-पत्र प्ररूप

चेतावनी : जानबूझ कर मिथ्या जानकारी देना या कोई तात्विक जानकारी छिपाना पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन अपराध है—

इस आवेदन-पत्र प्ररूप का उपयोग विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा (यदि वयस्क है तो अपने लिए या यदि किसी अवयस्क बालक के माता-पिता/विधिक संरक्षक में से कोई है तो उस बालक की ओर से) साधारण अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट/भारत—श्रीलंका पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए किया जा सकता है ।

सेवा में,

(कृपया उस भारतीय मिशन/पोस्ट का नाम भरें जिसे आप पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन दे रहे हैं) ।

फोटो चिपकाने के लिए स्थान

(फोटो की कुल तीन प्रतियां अपेक्षित है —इनमें से एक ऊपर के स्थान पर चिपकाई जाएगी और दो इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । फोटो का आकार 50 मि० मी० × 60 मि० मी० से कम का नहीं होना चाहिए और इसमें पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए ।)

(क) **फीस**

(1) जमा की गई फीस की रकम

(2) आपने किस प्रकार इसको जमा किया है

(ख) आवेदक के/अवयस्क की विशिष्टियां जिसके लिए पासपोर्ट अपेक्षित है।

1. साफ अक्षरों में पूरा नाम
(कृपया अधक्षरों का प्रयोग न करें)
2. यदि आवेदक विवाहिता/विधवा स्त्री है तो विवाह से पहले का नाम
3. उपनाम , यदि कोई हो
4. यदि आपने पहले कभी अपना नाम बदला है तो आपका पहला नाम क्या था
5. जन्म की तारीख
6. जन्म स्थान
7. पिता का पूरा नाम
(कृपया अधक्षरों का प्रयोग न करें)
8. माता का पूरा नाम
9. यदि आवेदक विवाहिता/विधवा स्त्री है तो पति का पूरा नाम
10. व्यवसाय और वर्तमान उपजीविका
11. लम्बाई मीटर सेंटीमीटर
12. आंखों का रंग
13. बालों का रंग
14. पहचान के प्रकट चिन्ह

(ग) पासपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बालक :

बालक का नाम	जन्म स्थान	जन्म की तारीख	आवेदक से नातेदारी
1.			
2.			
3.			
4			

कृपया जन्म प्रमाण-पत्र/पत्रों या विद्यालय प्रमाण-पत्र/पत्रों की प्रतियां, जिनमें जन्म की तारीख दी गई हो और माता-पिता दोनों के पासपोर्ट संलग्न करें।

(घ) पता

1. वर्तमान पता
2. स्थायी पता
3. टेलिफोन संख्या, यदि कोई हो
4. उस नातेदार की विशिष्टियां दीजिए जिसे पासपोर्ट धारक को विदेश में कोई कठिनाई होने की दशा में सूचित किया जा सके।

नाम :

नातेदारी

पूरा पता

टेलीफोन संख्या, यदि कोई हो

indiacode

(ङ) नागरिकता :

क्या आप जन्म/वंश/राष्ट्रीकरण/देशीयकरण से भारत के नागरिक हैं ?

(पासपोर्ट के लिए प्रथम आवेदन की दशा में कृपया नागरिकता दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(च) पहला पासपोर्ट :

1. आपके पास जो पहला पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज है उसे संलग्न करें और निम्नलिखित ब्यौरे दें —

संख्या

जारी करने की तारीख

जारी करने का स्थान

2. क्या आपको कभी पासपोर्ट दिए जाने से इन्कार किया गया था ?

3. क्या कभी आपके पासपोर्ट को परिबद्ध किए जाने या परिवर्तन किए जाने का आदेश जारी किया गया था ?

(यदि ऊपर 2 या 3 का उत्तर "हां" में है तो कृपया उस सरकारी पत्र की प्रति संलग्न करें जो आपको प्राप्त हुआ था)

(छ) आवेदक की घोषणा :

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि —

(i) मैंने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है;

(ii) मैंने भारत की नागरिकता नहीं खोई है, उसका परित्याग नहीं किया है और न ही मैं इससे कभी वंचित किया गया हूं; और

(iii) इस प्ररूप में दिए गए प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है ।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण : कृपया अंत में दिए गए स्थान पर अपने नाम के हस्ताक्षर करें।

(ज) यदि आवेदन अवयस्क की ओर से है तो माता-पिता या विधिक संरक्षक की घोषणा :

मैं प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण———— ————————जो———— — ————————का पुत्र/पुत्री है के संबंध में है जिसका मैं पिता-माता/विधिक संरक्षक हूँ।

मैं उसके खर्च की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ/लेती हूँ ।

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उसने कभी भारत की नागरिकता नहीं खोई है, न उसका परित्याग किया है और न ही वह कभी इससे वंचित किया गया है और कि इस आवेदनपत्र में उसके बारे में दी गई जानकारी सही है ।

पिता-माता/विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर

आवेदक/अवयस्क जिसकी ओर से आवेदन किया गया है के नमूने के दो हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे के चिन्ह (यदि पुरुष हो) या दायें हाथ के अंगूठे के चिन्ह (यदि स्त्री हो) ।

1	2

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

[प्ररूप ई क (पी) 3]

राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट जारी करने के लिये आवेदन-पत्र

(इस आवेदन-पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटो भेजे जाने चाहिए—इनमें से एक फोटो सम्यक रूप से सत्यापित होनी चाहिए)

1. (क) पूरा नाम (साफ अक्षरों में)

(ख) उपनाम, यदि कोई हो (साफ अक्षरों में)

2. व्यवसाय

3. वर्तमान नियोजन

4. घर का स्थायी पता

5. वर्तमान पता

6. जन्म स्थान

7. जन्म की तारीख

8. पिता/पति का नाम

9. वैयक्तिक विशिष्टियां :

(क) लंबाई

(ख) आंखों का रंग

(ग) बालों का रंग

(घ) पहचान के प्रकट चिन्ह यदि कोई हों तो ?

10. पासपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बालकों की विशिष्टियां :

	नाम	जन्म की तारीख	जन्म स्थान	नातेदारी
1.				
2.				
3.				
4.				

11. (क) क्या आपने किसी अन्य प्राधिकारी को किसी अन्य पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है ?

(ख) यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए :

12. यदि आपके पास पहला कोई पासपोर्ट है तो उसकी विशिष्टियां :

(क) संख्या

(ख) जारी करने की तारीख

(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी और स्थान

(घ) यदि आवेदक ने अपना पहला राजनयिक सरकारी पासपोर्ट विदेश मंत्रालय या किसी अन्य प्राधिकारी को वापस किया है तो कृपया बताएं कि वह कहां और कब लौटाया गया था ।

विशेष टिप्पण :

13. पहला पासपोर्ट यदि आवेदक की अभिरक्षा में है तो उसे इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सरकारी कार्य से जिन देशों में जाना है उनका नाम	सरकारी कार्य का सही स्वरूप	संभावित तारीख देते हुए ठहराने की अवधि

14. यात्रा का ढंग और मार्ग

स्थान :

तारीख : आवेदक के या, यदि आवेदन अवयस्क के लिए है तो, माता/पिता के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्रमाण-पत्र

1. *मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... सरकारी कर्त्तव्य पर विदेश जा रहे/रही है,
(पूरा नाम और पदनाम)
जैसा कि ऊपर मद संख्या 13 में दर्शित है।

2. *मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... श्री/श्रीमती का
(पूरा नाम) (पूरा नाम और पदनाम)
पुत्र/पत्नी/पुत्री है, जो सरकारी कर्त्तव्य पर विदेश जा रहे हैं जैसा कि ऊपर मद सं० 13 में दर्शित है।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

पदनाम

*जो लागू न हो उसे काट दें।

आवश्यक : उन व्यक्तियों के प्रवर्गों का उल्लेख, जिन्हें सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं, पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची II के भाग- I में किया गया है। जो व्यक्ति उक्त अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते हैं वे सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र नहीं होंगे।

.....

कृपया ऊपर दिए गए स्थान में आवेदक के नमूने के हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे के और स्त्री की दशा में दायें अंगूठे के)

अनुसूची-III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए(पी) 4

आपाती प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

(इस आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के तीन फोटो भेजे जाने चाहिए)

I. फीस :

1. जमा की गई रकम
2. जमा करने की तारीख
3. जमा करने का ढंग

II. वैयक्तिक विशिष्टियां

1. (क) पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)
(ख) उपनाम यदि कोई हो
(साफ अक्षरों में
2. पहले का नाम, यदि आपने कभी अपना नाम बदला है।
3. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह के पहले का नाम
4. पिता का नाम
5 विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में पति का नाम
6. भारत में स्थाई पता
7. विदेश में वर्तमान पता
8. वर्तमान राष्ट्रीय प्रास्थिति
9. व्यवसाय
10. जन्म का स्थान
11. जन्म की तारीख
12. लंबाई
13. आंखों का रंग
14. बालों का रंग
15 पहचान के प्रकट चिन्ह, यदि कोई हों।

III. आपाती प्रमाण-पत्र में सम्मिलित किए जाने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बालक-बालकों की विशिष्टियां :

नाम	जन्म की तारीख	जन्म स्थान	नातेदारी
1.			
2.			
3			
4.			

IV. यदि आपके पास पहले कोई पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज है तो उसकी विशिष्टियां :

1. क्या आपके पास पहले कोई पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज था ?
2 यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित विशिष्टियां दें :
(क) संख्या
(ख) जारी करने की तारीख
(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी और स्थान

विशेष टिप्पण : यदि पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज उपलब्ध है तो उसे इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. यदि आप उस पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है तो कृपया इसके कारण बताएं :
.....
.....

V. आपाती प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के कारण :
.....
.....

VI. आवेदक की घोषणा :

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि :—

1. मैं भारत का नागरिक/भारतीय उद्भव का व्यक्ति हूं,
*2. मैंने स्वेच्छया किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है; और
3. इस प्ररूप में दिए गए प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है।

स्थान :

तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह
(पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे का और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे का)

आवेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे के और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे के)

1 2

*यदि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छया प्राप्त की है तो कृपया ब्यौरे दें
.....
.....

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए (पी) 5

पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

(इस आवेदनपत्र के साथ पासपोर्ट आकार के तीन फोटो—एक स्थानीय पुलिस प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित और आवासीय परमिट, भेजे जाने चाहिए)।

I. फीस :

1. रकम

IndiaCode

2. जमा करने की तारीख

3. जमा करने का ढंग

II वैयक्तिक विशिष्टियां :

1. (क) पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)

(ख) उपनाम, यदि कोई हो
(साफ अक्षरों में)

2. पहला नाम, यदि आपने कभी अपना नाम बदला है

3. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम

4. पिता का नाम

5. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में पति का नाम

6. विदेश में पिछला स्थाई पता

7. वर्तमान पता

8. उद्भव का स्थान/देश

9. वर्तमान राष्ट्रीय प्रास्थिति

10. भारत में आवास की अवधि

11. व्यवसाय

12. जन्म का स्थान

13. जन्म की तारीख

14. लम्बाई

15. आंखों का रंग

16. बालों का रंग

17 पहचान के प्रकट चिह्न, यदि कोई हो

III. पहचान प्रमाणपत्र में सम्मिलित किये जाने वाले, 15 वर्ष से कम आयु के बालक/बालकों की विशिष्टियां

नाम	जन्म की तारीख	जन्म स्थान	नातेदारी
1.			
2.			
3.			
4.			

IV. 1. पहचान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने का प्रयोजन

2. देश जिनके लिए पहचान प्रमाणपत्र अपेक्षित है

V आवेदक की घोषणा

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि—

(क) मैं राष्ट्रियकता का हूं/राज्य-विहीन हूं ।

(ख) मैंने पहले भारतीय/विदेशी यात्रा दस्तावेज प्राप्त नहीं किया है क्योंकि

.....

.....

(ग) इस प्ररूप में दिये गए प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी है, वह सही है ।

स्थान

तारीख

.....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह

(पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे का और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे का)

आवेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे के और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे के)

1	2

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए (पी) 6

सभी प्रकार के पासपोर्टों/यात्रा दस्तावेजों की विधिमान्यता के नवीकरण के लिये आवेदनपत्र

1. (क) पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)

(ख) उप नाम, यदि कोई हो

2. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पहले का नाम

3. पिता/पति का नाम

4. वर्तमान पता

5 स्थाई पता

6 पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेजों की विशिष्टियां

(क) संख्या
(ख) जारी करने की तारीख
(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी और स्थान
(घ) कब तक विधिमान्य है

7. (क) अवधि जब तक नवीकरण अपेक्षित है

(ख) नवीकरण के लिये कारण

8. जमा की गई फीस की रकम

9. जमा करने का ढंग (यदि फीस मनीआर्डर द्वारा भेजी गई थी तो कृपया मनीआर्डर की रसीद संलग्न करें) ।

10. घोषणा :

मैं घोषणा करता हूं कि जब से मुझे ऊपर वाला पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किया गया था मैंने भारत की नागरिकता नहीं खोई है या उसका परित्याग नहीं किया है*.....मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे पास कोई अन्य पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं है ।

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

स्थान

तारीख

.....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह
(पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे का और स्त्री की दशा में बाएं अंगूठे का)

IndiaCode

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए (पी) 7

सभी प्रकार के पासपोर्टों/यात्रा दस्तावेजों पर अतिरिक्त पृष्ठांकन के लिये आवेदनपत्र

1. (क) पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)
(ख) उप नाम, यदि कोई हो
2. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पहले का नाम
3. वर्तमान पता
4. स्थाई पता
5. पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज की विशिष्टियां
(i) संख्या
(ii) जारी करने की तारीख
(iii) जारी करने वाला प्राधिकारी और स्थान
(iv) कब तक विधिमान्य है
6. देश जिस/जिनके लिये अतिरिक्त पृष्ठांकन अपेक्षित है
7. अपेक्षित अतिरिक्त पृष्ठांकन के लिये कारण
8. जमा की गई फीस की रकम
9. फीस के जमा कराने का ढंग

विशेष टिप्पण : यदि फीस मनीआर्डर द्वारा भेजी गई थी तो कृपया मनीआर्डर की रसीद संलग्न करें।

स्थान
तारीख

.....
आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह
(पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे का और स्त्री की दशा दाएं अंगूठे का)

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए (पी) 8

सभी प्रकार के पासपोर्टों/यात्रा दस्तावेजों पर प्रकीर्ण सेवाओं के लिए आवेदन पत्र

1. (क) पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)
(ख) उप नाम, यदि कोई हो
(साफ अक्षरों में)
2. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम
3. वर्तमान पता
4. स्थाई पता
5. पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज की विशिष्टियां
(i) संख्या
(ii) जारी करने की तारीख
(iii) जारी करने वाला प्राधिकारी और स्थान
(iv) कब तक विधिमान्य है।
6. (i) अपेक्षित सेवा की वास्तविक प्रकृति
(ii) सेवा की प्रार्थना के लिये कारण
7. जमा की गई फीस की रकम
8. जमा करने का ढंग

विशेष टिप्पण :

यदि फीस मनीआर्डर द्वारा भेजी गई थी तो कृपया मनीआर्डर रसीद संलग्न करें।

स्थान
तारीख

.....
आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह
(पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे का और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे का)

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए (पी) 9

जब आवेदक के पासपोर्ट (सभी प्रकार के) या यात्रा दस्तावेज के सभी पृष्ठ समाप्त हो गए हैं तो नई पुस्तिका या अतिरिक्त पन्नों के लिए आवेदनपत्र

[इस आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटो होने चाहिये। यदि शक्ल-सूरत में कोई परिवर्तन आया है तो फोटो को (पृष्ठ भाग में) किसी राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए]

1. (क) पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)
(ख) उप नाम, यदि कोई हो
(साफ अक्षरों में)
2. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम
3. वर्तमान पता
4. स्थाई पता
5. पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज की विशिष्टियां
6. (i) संख्या
(ii) जारी करने की तारीख
(iii) जारी करने वाला प्राधिकारी और स्थान
(iv) कब तक विधिमान्य है
7. जमा की गई फीस की रकम
8. जमा करने का ढंग

विशेष टिप्पण :

यदि फीस मनीआर्डर द्वारा भेजी गई थी तो कृपया मनीआर्डर की रसीद संलग्न करें।

स्थान
तारीख

.....
आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह
(पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे का और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे का)

आवेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे के और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे के)

IndiaCode

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप सं० (पी) 10

सभी प्रकार के पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेजों के खोने/चोरी होने या क्षति-ग्रस्त होने पर उसकी दूसरी प्रति जारी कराने के लिये आवेदन-पत्र

(यह आवेदन-पत्र दो प्रतियों में होना चाहिये और इसके साथ पासपोर्ट आकार के तीन फोटो होने चाहियें)

I फीस

1 जमा की गई रकम

2. जमा कराने की तारीख

3 जमा कराने का ढंग

विशेष टिप्पण :

यदि फीस मनीआर्डर द्वारा भेजी गई थी तो कृपया मनीआर्डर रसीद संलग्न करें।

II. वैयक्तिक विशिष्टियां

1 (क) पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)
(ख) उप नाम, यदि कोई हो (साफ अक्षरों में)

2. विवाहिता विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम

3. पिता का नाम

4. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में पति का नाम

5. भारत में स्थाई पता

6. वर्तमान पता

7. व्यवसाय

8. लम्बाई

9. जन्म स्थान

10. जन्म की तारीख

11. आंखों का रंग

12. बालों का रंग

13. पहचान के प्रकट चिन्ह, यदि कोई हों

III उस पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज में बालक/बालकों की विशिष्टियां, जो खो गया है/चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है

नाम	जन्म की तारीख	जन्म स्थान	नातेदारी
1.			
2.			
3.			
4.			

IV. उस पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज की विशिष्टियां जो खो गया है, चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है

1. संख्या

2. जारी करने की तारीख

3. जारी करने वाला प्राधिकारी और स्थान

4. कब तक विधिमान्य है

5. संक्षिप्त में उन परिस्थितियों का कथन करें जिन में पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज खो गया था, चोरी हो गया था या क्षतिग्रस्त हो गया था।

विशेष टिप्पण :

खो जाने या चोरी की दशा में कृपया पुलिस में रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

स्थान

तारीख

.....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह
(पुरुष की दशा में बाएं अंगूठे का और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे का)

आवेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह (पुरुष की दशा में बांए अंगूठे के और स्त्री की दशा में दाएं अंगूठे के)

अनुसूची III भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप सं० (पी) 11

भारत-बंगलादेश पासपोर्ट के लिये आवेदन-पत्र

इस आवेदन-पत्र का प्रयोग वयस्क द्वारा अपने लिये या किसी माता-पिता/विधिक संरक्षक द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए किया जा सकता है।

(इस आवेदन-पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के चार फोटो होने चाहिएं जो किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित होने चाहिएं)

I. फीस

1. जमा की गई रकम

2. जमा करने की तारीख

3. जमा करने का ढंग

II. आवेदक/अवयस्क की विशिष्टियां जिसके लिये पासपोर्ट अपेक्षित है

1. (क) पूरा नाम
(साफ अक्षरों में)
(ख) उपनाम, यदि कोई हो
(साफ अक्षरों में)

2. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम

3. पहले का नाम, यदि आपने कभी अपना नाम बदला है

4. पिता का नाम

5. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में पति का नाम

6. भारत में स्थायी पता

7. वर्तमान पता

8. व्यवसाय

9. लम्बाई

10. जन्म स्थान

11. जन्म की तारीख

12. आंखों का रंग

13. बालों का रंग

14. पहचान के प्रकट चिह्न, यदि कोई हो,

India Code

III. पासपोर्ट में सम्मिलित किये जाने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बालक/बालकों की विशिष्टियां

नाम	जन्म की तारीख	जन्म स्थान	नातेदारी
1.			
2.			
3.			
4.			

IV. पहला पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज की विशिष्टियां

1. क्या आपके पास कभी पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज था
2. यदि हां तो कृपया निम्नलिखित विशिष्टियां दें :
 (क) संख्या
 (ख) जारी करने की तारीख
 (ग) जारी करने वाला प्राधिकारी और स्थान

विशेष टिप्पण :

इस आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिये (यदि उपलब्ध न हो तो कृपया कारण बताएं) :

.....

.....

.....

V. आवेदक द्वारा घोषणा :

(जब प्रतिक्षित है जब आवेदक वयस्क है)

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि :

(i) मैंने स्वेच्छया किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है ;

(ii) मैंने भारत की नागरिकता नहीं खोई है, उसका परित्याग नहीं किया है या इससे वंचित नहीं किया गया हूं ;

(iii) इस प्ररूप में दिये गये प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है।

स्थान

तारीख

.....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह
(पुरुष की दशा में बायें अंगूठे का और स्त्री की दशा में दायें अंगूठे का)

VI. यदि पासपोर्ट अवयस्क के लिये है तो माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि जो का पुत्र/पुत्री है जिसकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, का मैं माता-पिता/विधिक संरक्षक हूं।

मैं निष्ठापूर्वक उसके विदेश में रहने के लिये खर्चे और उसके संप्रत्यर्पित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उपगत किसी भी प्रकार के खर्च के संदाय की पूर्ण जिम्मेदारी लेता/लेती हूं।

मैं निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूं कि उसने भारतीय नागरिकता नहीं खोई है, उसका परित्याग नहीं किया है या उससे वह वंचित नहीं किया गया/की गई है, और इसके बारे में इस आवेदन में दी गई जानकारी सही है।

स्थान

तारीख

.....

माता-पिता/विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह
(पुरुष की दशा में बायें अंगूठे का और स्त्री की दशा में दायें अंगूठे का)

आवेदक के/अवयस्क के, जिसकी ओर से आवेदन किया गया है, नमूने के दो हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह (पुरुष की दशा में बायें अंगूठे के और स्त्री की दशा में दायें अंगूठे के)

1	2

अनुसूची III—भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए (पी) 12

भारत-श्रीलंका पासपोर्ट के लिये आवेदनपत्र

(संप्रत्यार्वार्तियों के लिए 1964 और 1974 के करार)

(आवेदक के पासपोर्ट आकार के बिना मढ़े तीन अवक्ष-फोटो, जिनमें पूरा चेहरा दिखाई देता हो, संलग्न करने चाहिए। सभी फोटो के पिछले भाग पर "..... का फोटो" प्रमाणित होना चाहिए जो यदि आवेदक बागान में है तो उसकी फोटो पर बागान अधीक्षक और अन्य की दशा में डीआरओ, ग्रामसेवक या संसद सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिएं।)

चेतावनी

आवेदकों को चेतावनी दी जाती है कि यदि उनके द्वारा नीचे दी गई कोई जानकारी मिथ्या या गलत पाई जाती है तो न केवल उनके आवेदन-पत्र ही नामंजूर कर दिए जाएंगे या उनके पासपोर्ट यदि पहले ही दे दिए गए हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है,

अपितु उन पर अभियोजन भी चलाया जा सकता है।

1. (i) पूरा नाम, उपनाम सहित, यदि कोई हो, (साफ अक्षरों में)
 (ii) क्या कभी आपने अपना नाम बदला है ?
 यदि हां तो आपका पहले का नाम क्या था।
2. क्या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं ?
3. यदि विवाहिता/विधवा स्त्री है तो विवाह से पहले का नाम
4. जन्म स्थान (ग्राम, नगर, जिला आदि) और जन्म की तारीख (इसके प्रमाण में दस्तावेज संलग्न करें यदि संभव हो)
5. व्यवसाय
6. शैक्षिक अर्हताएं
7. वर्तमान उपजीविका
8. (i) आवेदक की वैयक्तिक विशिष्टियां
 (क) लंबाई मीटर सेंमी०
 (ख) आंखों का रंग
 (ग) बालों का रंग
 (घ) पहचान के प्रकट चिन्ह, यदि कोई हों

IndiaCode

(ii) 15 वर्ष से कम आयु के बालकों की विशिष्टियां यदि उन्हें पासपोर्ट में सम्मिलित किया जाना है।

	पूरा नाम	पुरुष या स्त्री	जन्म की तारीख
1			
2.			
3.			
4.			
5.			

9. पिता का नाम और जन्म की तारीख और स्थान

10. यदि विवाहिता स्त्री या विधवा हो तो पति या स्वर्गीय पति की राष्ट्रिकता, नाम और जन्म स्थान

11. आप श्रीलंका में कब से लगातार रह रहे हैं ?

12. क्या आप किसी समय किसी अन्य देश में, जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान भी है, रहे हैं ? देशों के नाम और अवधि लिखें।

13 स्तंभ 12 में वर्णित देशों में रहते समय आपकी उपजीविका क्या थी ?

14 क्या आपने कभी यात्रा दस्तावेज के लिए आवेदन किया है ? और उससे इंकार किया गया है ? यदि हां तो कब और किन परिस्थितियों में ?

15 क्या आपको कभी कोई ऐसा पासपोर्ट जारी किया गया है जो बाद में परिवंचित या रद्द किया गया था ? यदि हां तो विशिष्टियां दीजिए।

16. श्रीलंका में वर्तमान पता

17. भारत में दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते जो आपके लिये जमानत देने के लिए तैयार हों।

1.

2.

18 क्या आवेदक भारत-श्रीलंका पासपोर्ट चाहता है या आपाती प्रमाणपत्र ?

आवेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह

पत्नी के नमूने के दो हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह यदि पासपोर्ट में सम्मिलित की जानी है।

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं और मैंने भारतीय नागरिकता नहीं खोई है, उसका परित्याग नहीं किया है और उससे वंचित नहीं किया गया हूं और प्रश्नावली के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे के चिन्ह

तारीख :

*मैंजोमें निवास कर रहा हूं और भारत-श्रीलंका पासपोर्ट/आपाती प्रमाणपत्र संख्यातारीख का धारक, इसके द्वारा का पासपोर्ट दिए जाने के लिए आवेदन करता हूं, जिसकी कि मैं माता-पिता/विधिक संरक्षक हूं। मैं उसके संपूर्ण खर्च के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता/लेती हूं।

.....माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे के चिन्ह

*(यह प्रमाणपत्र तभी अपेक्षित है जब आवेदन 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की ओर से किया जाता है)

अनुसूची III—भाग-II

(नियम 6 देखिये)

"प्रत्याभूति का प्रारूप"

"न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा".....जोका पुत्र/पत्नी/पुत्री है अपने*.....के साथ विदेश जाने का इच्छुक है।

मैं/हम..... जोमें निवास कर रहे हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रत्याभूतिदाता कहा गया है) इसके द्वारा उक्त.....के लिए उस अवधि के दौरान जिसमें वह/वे विदेश में होंगे उचित भरण-पोषण और यात्रा खर्च का संदाय करने का संयुक्ततः और पृथक्ततः करार, वचन और वचनबन्ध करते हैं और मेरे/हमारे द्वारा ऐसा भरण पोषण और उपरोक्त यात्रा खर्च की व्यवस्था करने या कराने में असफल रहने की दशा में मैं हम संयुक्ततः और पृथक्ततः भारत के राष्ट्रपति और उनके पद उत्तरवर्तियों और समनुदेशितियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "भारत सरकार" कहा गया है) किसी विलम्ब के बिना ऐसे खर्चे और व्यय का जो भारत सरकार द्वारा उक्त.... के भरण-पोषण और संप्रत्यावर्तन पर और उसकी पत्नी/बालकों पर उनके भारत में संप्रत्यावर्तन पर उपगत किए जाएं, संदाय करने का करार करते हैं।

उक्तकी विदेश में मृत्यु हो जाने की दशा में, मैं/हम इसके द्वारा भारत सरकार की उस सभी खर्च और व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए वचनबन्ध होते हैं और करार करते हैं जो उसके/उनके दफन/शवदाह पर उपगत किया जाए।

और इसके द्वारा मैं/हम संयुक्ततः और पृथक्ततः यह भी करार करते हैं :—

(1) कि भारत सरकार इसके अधीन मेरे/हमारे दायित्व को निर्मोचित या त्यागे किए बिना उक्त.....के प्रति कोई ऐसी उदारता करने के लिए स्वतंत्र होगी जो वह उचित समझे, और

(2) ऊपर निर्दिष्ट जैसे मामलों में खर्चों/प्रभारों/व्यय का अवधारण करने के लिए प्राधिकार अनन्य रूप से भारत सरकार में होगा और वह मुझ पर/हम पर और मेरे/हमारे वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों पर ऐसे खर्चे/प्रभार और व्यय का संदाय जो भारत सरकार द्वारा अवधारित किया जाए किसी भी आक्षेप के बिना चलित प्रत्याभूति के रूप में बाध्यकर होगा।

यह प्रत्याभूति तब तक अस्तित्वशील रहेगी जब तक सरकार द्वारा प्रभावोन्मुक्त नहीं कर दी जाती है।

प्रत्याभूतिदाता द्वारा हस्ताक्षरित :—

(1)
पता

(2)
पता

19.....के.....मास के.....दिन.....को

(1).....
पता

(2).....
पता

Indiacode

.....

प्रत्याभूति का स्थान

की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

*यहां पत्नी और/या पत्नी और बालकों के नाम अन्तःस्थापित करें यदि संयुक्त पासपोर्ट जारी किया जाना है ।

विशेष टिप्पण :—

इस प्ररूप के साथ निम्नलिखित होना चाहिए :—

(1) इस प्रमाण का दस्तावेजी साक्ष्य के हस्ताक्षरकर्ता आयकर, संपत्ति कर और कृषि आयकर देता है, या

(2) किसी राजस्व प्राधिकारी से, जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो इस प्रभाव का शोधन क्षमता प्रमाणपत्र कि प्रत्याभूतिदाता 10,000 रुपये या उससे अधिक के लिए वार्षिक रूप से ऋण शोधक्षम है ।

2. ऐसे शब्द और पद जो प्ररूप में लागू न हों प्रत्याभूति में नहीं लिखे जाने चाहिए ।

3. न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर का मूल्य वह होगा जो उस राज्य में, जहां बंधपत्र निष्पादित किया जाता है, प्रवृत्त स्टाम्प अधिनियम में विनिर्दिष्ट है ।

अनुसूची III—भाग II।

(देखें नियम 11)

प्ररूप पी—1

राजनियक पासपोर्ट का प्ररूप

(मुख आवरण)

राजनयिक पासपोर्ट

संप्रतीक

भारत गणराज्य

(आन्तरिक मुख आवरण)

इसके द्वारा, भारत गणराज्य संप्रतीक के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आगे-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो ।

.....में

.....को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया

(पृष्ठ 1)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं ।

राजनयिक पासपोर्ट

भारत

पासपोर्ट का नम्बर

वाहक का नाम

साथ है उसकी पत्नी (जन्म नाम)

औरबच्चे

राष्ट्रिकता

.....

.....

(पृष्ठ—2)

विवरण	पत्नी
व्यवसाय	
जन्म स्थान और	
जन्म की तारीख	
अधिवास	
कद मी०सें०मी०	...मी० ...सें०मी०
आंखों का रंग	
बालों का रंग	
पहचान के प्रकट चिन्ह	

बच्चे

नाम	जन्म की तारीख	लड़का/लड़की
.....		
.....		
.....		

(पृष्ठ—3)

वाहक का फोटो

फोटो

वाहक के हस्ताक्षर

पत्नी

फोटो

पत्नी के हस्ताक्षर

(पृष्ठ—4)

यह पासपोर्ट इन देशों के लिए वैध है

.....

.....

अवधि बढ़ाई न जाये तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है

.....

जारी करने का स्थान

तारीख

(पृष्ठ—5)

घर का पता

भारत में स्थायी पता :—

(अर्थात्—गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—

.....

.....

पिता/पति का नाम और पता

(अर्थात्-गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य):—

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

IndiaCode

(पृष्ठ–6)

नवीकरण

(पृष्ठ 7 से 29)

वीजा

(पृष्ठ 30–31)

सफर-खर्च के लिए विदेशी मुद्रा

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

तारीख	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई	दी गई या लौटाई गई रकम (निकटतम पौंड अथवा रुपये के बराबर पौंड या रुपयों में)	मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर

(पृष्ठ–32)

विनियम

राजनयिक पासपोर्ट की वैधता

1. राजनयिक पासपोर्ट की वैधता उस समय स्वत: समाप्त हो जाएगी जब कोई व्यक्ति, जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाये, जिसके कारण वह राजनयिक पासपोर्ट पाने का अधिकारी हुआ था। ऐसी सूरत में, राजनयिक पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, में अथवा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा।

2. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्ट धारी को उस बात की छूट मिल जाती है कि वह किसी देश में लागू आप्रवास कानूनों को पलान न करें, अथवा जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो, वहां उसे न ले।

3. (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्ट पर अकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।

(ख) पन्द्रह साल से उपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।

4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।

5. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिये। यदि यह खो जाये या नष्ट हो जाये तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, या, (यदि पासपोर्ट धारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे।

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)

विनियम

(अंग्रेजी में)

चेतावनी

(अंग्रेजी में)

अनुसूची III—भाग III

(देखें नियम 11)

प्ररूप पी–2

सरकारी पासपोर्ट का प्ररूप

(मुख आवरण)

सरकारी पासपोर्ट

संप्रतीक

भारत गणराज्य

(आंतरिक मुख आवरण)

संप्रतीक

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

.....में

.....को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।

पृष्ठ 1

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं

सरकारी पासपोर्ट

भारत

पासपोर्ट का नम्बर.....

वाहक का नाम.....

साथ है उसकी पत्नी (जन्म नाम).....

और.....बच्चे।

राष्ट्रिकता

.....

.....

पृष्ठ 2

विवरण	पत्नी
व्यवसाय.....	
जन्म का स्थान और.....	

IndiaCode

जन्म की तारीख

आँख का रंग

बालों का रंग

पहचान के प्रकट चिन्ह

बच्चे

नाम	जन्म की तारीख	लड़का/लड़की
.....		
.....		
.....		

(पृष्ठ 3)

वाहक का फोटो

फोटो	वाहक के हस्ताक्षर

पत्नी

फोटो	पत्नी के हस्ताक्षर

(पृष्ठ 4)

यह पासपोर्ट इन देशों के लिए वैध है :

.....

.....

अवधि बढ़ाई न जाये तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्नांकित को समाप्त होती है

.....

जारी करने का स्थान

तारीख

(पृष्ठ 5)

घर का पता

भारत में स्थायी पता :

(अर्थात्-गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—

पिता/पति का नाम और पता

(अर्थात्-गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(पृष्ठ 6)

नवीकरण

(पृष्ठ 7 से 29)

बीजा

(पृष्ठ 30-31)

सफर-खर्च के लिए विदेशी मुद्रा

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

तारीख	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई	दी गई अथवा लौटाई गई रकम (निकटतम पौंड या रुपये के बराबर पौंड या रुपयों में)	मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर

(पृष्ठ 32)

विनियम

सरकारी पासपोर्ट की वैधता

1. सरकारी पासपोर्ट की वैधता उस समय स्वतः समाप्त हो जाएगी, जब कोई व्यक्ति, जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाये, जिसके कारण वह सरकारी पासपोर्ट पाने का अधिकारी हुआ था। ऐसी सूरत में, सरकारी पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, में अथवा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा।

2. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्टधारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवास कानूनों का पालन न करे, अथवा जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो, वहां उसे न ले।

3. (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्ट पर अकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।

(ख) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।

4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।

5. पासपोर्ट किसी भी देश में बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट एक मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिये। यदि यह खो जाये या नष्ट हो जाये तो इस बात को और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के "पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी" को या (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है, ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

indiacode

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे ।

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)

विनियम

(अंग्रेजी में)

(चेतावनी)

(अंग्रेजी में)

अनुसूची III—भाग III

(देखें नियम 11)

प्ररूप पी–3

सामान्य पासपोर्ट का प्ररूप

(मुख आवरण)

पासपोर्ट

संप्रतीक

भारत गणराज्य

(आंतरिक मुख आवरण)

संप्रतीक

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो ।

.....में

.....को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया

(पृष्ठ I)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।

पासपोर्ट

भारत

पासपोर्ट का नम्बर.....

वाहक का नाम.....

साथ है उसकी पत्नी (जन्म नाम).....

और.....बच्चे ।

राष्ट्रिकता

.....

.....

(पृष्ठ 2)

विवरण	पत्नी
व्यवसाय.....	
जन्म-स्थान और जन्म की तारीख.....	
अधिवास.....	
कद.....मी०.....सें०मी.	मी०.....सें०मी०....
आंखों का रंग.....	
बालों का रंग.....	
पहचान के प्रकट चिन्ह.....	

बच्चे

नाम	जन्म की तारीख	लड़का/लड़की
.....		
.....		
.....		

(पृष्ठ 3)

वाहक का फोटो

फोटो

वाहक के हस्ताक्षर

पत्नी

फोटो

पत्नी के हस्ताक्षर

(पृष्ठ 4)

यह पासपोर्ट इन देशों के लिए वैध है :

.....

.....

अवधि बढ़ाई न जाये तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :

.....

जारी करने का स्थान.....

तारीख.....

(पृष्ठ 5)

घर का पता

भारत में स्थायी पता :

(अर्थात्—गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—

पिता/पति का नाम और पता

(अर्थात्—गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—

.....

टिप्पणी

.....

(पृष्ठ 6)

नवीकरण

(पृष्ठ 7 से 29)

बीजा

IndiaCode

(पृष्ठ 30-31)

सफर खर्च के लिए विदेशी मुद्रा

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

तारीख	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा बेची गई	दी गई अथवा लौटाई गई मुद्रा के अधिकार प्राप्त रकम (निकटतम पौंड व्यवसायी की मुहर या रुपये के बराबर और उसके पौंड या रुपयों में)	हस्ताक्षर

(पृष्ठ 32)

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्टधारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवास कानूनों को पालन न करे, अथवा जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो, वहां उसे न ले।

2.(क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी वह उसके पासपोर्ट पर अकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।

(ख) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।

3. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।

4. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

रजिस्ट्री

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र निकटतम भारतीय मिशन में अपने नाम और पते रजिस्टर दर्ज कराएं। पते में परिवर्तन की या उस देश से रवानगी की सूचना भी मिशन को दे देनी चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिये। यदि यह खो जाये या नष्ट हो जाये तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के "पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी" को या (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पास पोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे।

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)

विनिमय

(अंग्रेजी में)

रजिस्ट्री

(अंग्रेजी में)

चेतावनी

(अंग्रेजी में)

अनुसूची III भाग III

(देखें नियम 11)

प्ररूप पी-4

आपाती प्रमाण-पत्र का प्ररूप

(मुख आवरण)

भारत सरकार

संप्रतीक

आपाती प्रमाण पत्र

पृष्ठ I

संप्रतीक

आपाती प्रमाण पत्र

नम्बर

यह प्रमाणित किया जाता है ने आपाती प्रमाणपत्र पाने के लिए मुझे आवेदन पत्र दिया है और मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं उनके बयान पर सन्देह करूं।

मोहर जारी करने वाले अधिकारी के

तारीख हस्ताक्षर

(पृष्ठ 2)

विवरण

(क) व्यवसाय

(ख) राष्ट्रिकता

(ग) पिता/पति का नाम

(घ) जन्म का स्थान और तारीख

(ङ) भारत में पता

(च) प्रकट विशिष्ट चिन्ह, यदि कोई हों तो

(छ) कद

(ज) बालों का रंग

(झ) आंखों का रंग

(पृष्ठ 3)

प्रमाणपत्रधारी के साथ एक बच्चा है/ बच्चे हैं जिसका/ जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रमांक	नाम	बच्चों का ब्यौरा जन्म की तारीख	लड़का/लड़की
1			
2			
3			
4			

[वाहक का फोटो]

प्रमाणपत्रधारी के हस्ताक्षर

IndiaCode

(पृष्ठ 4)

यह प्रमाणपत्र केवल से होकर तक की यात्रा के लिए वैध है।

अवधि बढ़ाई न जाए तो इस प्रमाणपत्र की वैधता निम्नलिखित तारीख को समाप्त होती है :

.....

तारीख, जिस तक नवीकृत किया

जारी करने का स्थान

तारीख

(पृष्ठ 5)

बीजा

(पृष्ठ 6)

बीजा

टिप्पणी :

इस अस्थायी प्रमाणपत्र को पास रखने से प्रमाणपत्र धारी को यह छूट नहीं मिल जाती कि वह गन्तव्य देश में लागू आप्रवास विनियमों का पालन न करे अथवा जहां बीजा लेना आवश्यक हो, वहां उसे न ले।

अनुसूची III भाग III

(देखें नियम 11)

प्रारूप-पी 5

पहचान प्रमाणपत्र का प्रारूप

(मुख आवरण)

भारत सरकार

संप्रतीक

पहचान प्रमाण पत्र

(आंतरिक मुख आवरण)

संप्रतीक

पहचान प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्रधारी को राष्ट्रीय पासपोर्ट के स्थान पर पहचानपत्र देना ही इस प्रमाणपत्र को जारी करने का एकमात्र उद्देश्य है। यह न तो प्रमाणपत्रधारी की राष्ट्रिकता से प्रभावित है और न उसकी राष्ट्रिकता को प्रभावित करता है। यदि प्रमाणपत्रधारी राष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त कर लेगा तो यह प्रमाणपत्र वैध न रह जाएगा और उसे इस प्रमाणपत्र को पासपोर्ट जारी करने वाले निकटतम भारतीय अधिकारी के पास जमा कर देना होगा।

यह प्रमाण-पत्र पृष्ठ 5 पर लिखित देशों की यात्रा के लिए वैध है और इसकी वैधता निम्नलिखित तिथि को समाप्त होती है :

जारी करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और उसकी मुहर

स्थान :

तिथि :

(पृष्ठ-1)

इस पहचान प्रमाणपत्र में 13 पृष्ठ हैं।

पहचान प्रमाणपत्र

भारत

पहचान प्रमाणपत्र का नम्बर

प्रमाणपत्रधारी का नाम

मूल राष्ट्रिकता

(पृष्ठ-2)

व्यक्ति का विवरण

व्यवसाय

जन्म की तारीख

जन्म-स्थान

पिता/पति का नाम

मां का नाम

कद

बालों का रंग

आंखों का रंग

(पृष्ठ-3)

विशिष्ट चिन्ह

वर्तमान कार्य

विदेश में पिछला स्थायी पता

वर्तमान पता

(पृष्ठ-4)

पासपोर्टधारी के साथ एक बच्चा है/..... बच्चे हैं; ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बच्चों का ब्यौरा

क्रमांक	नाम	जन्म की तारीख	लड़का/लड़की
1			
2			
3			
4			
5			

प्रमाणपत्रधारी का फोटो

प्रमाणपत्रधारी के हस्ताक्षर

(पृष्ठ-5)

पृष्ठांकन

(पृष्ठ 6 और 7)

नवीकरण

(पृष्ठ 8 से 13)

बीजा

अनुसूची III भाग III

(देखें नियम 11)

प्रारूप पी-6

भारत एवं बंगलादेश के बीच यात्रा के लिए भारत-बंगलादेश पासपोर्ट का प्रारूप

(मुख पृष्ठ)

भारत-बंगलादेश पासपोर्ट

संप्रतीक

भारत गणराज्य

(आंतरिक मुख पृष्ठ)

भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति की ओर से उन सबसे जिनसे इसका सरोकार हो, यह अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक का बिना

IndiaCode

रोक टोक या बाधा के मुक्तापूर्वक चले जाने दे और उसकी आवश्यकतानुसार उसे हर प्रकार की सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करें।

.....
.....को
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।
.....
.....

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।

भारत सरकार

पासपोर्ट

यह पासपोर्ट भारत और बंगलादेश के बीच सीधी यात्रा के लिए वैध है और इसे किसी अन्य देश की यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

पासपोर्ट का नम्बर
धारक का नाम

भारत में स्थायी पता

गांव या नगर
थाना
जिलाराज्य
साथ हैंबच्चे

राष्ट्रिकता

(पृष्ठ-2)

विवरण

व्यवसाय
जन्म-स्थान, जिला एवं राज्य
जन्म की तारीख
अधिवास
लम्बाईमी०से०मी०
आंखों का रंग
बालों का रंग
पहचान के प्रकट चिन्ह

बच्चे

	नाम	जन्म की तारीख	लड़का/लड़की
1			
2			
3			
4			

(पृष्ठ-3)

धारक का फोटो

| फोटो |

धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणी

(पृष्ठ-4)

अवधि बढ़ाई न जाय तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :

नवीकरण

(पृष्ठ-5)

पिता का नाम एवं पूरा पता

(अर्थात्—गांव या शहर का नाम, जिला और राज्य)

.....
.....
.....

अगर धारक विवाहित अथवा विधवा महिला है तो उसके पति का नाम, व्यवसाय और पता या पिछला पता दीजिए

.....
.....
.....

(पृष्ठ 6 से 16)

बीजा

(पृष्ठ 17 से 30)

पृष्ठांकन

(पृष्ठ 31 एवं 32)

विदेशी मुद्रा एवं सफर-खर्च

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

तारीख	दी गई या लौटाई गई रकम (निकटतम पौंड या रुपये के बराबर-पौंड या रुपयों में)	मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर

(पृष्ठ आवरण का आन्तरिक भाग)

महत्वपूर्ण

1. यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है और यह सरकार इच्छानुसार किसी भी समय चाहे तो इस पासपोर्ट को रद्द कर सकती है। जहां पासपोर्ट इस तरह रद्द कर दिया गया हो सरकार के लिए यह वैध होगा कि पासपोर्ट को अपने पास रख ले, यदि यह उसके कब्जे में है और यदि उसके पास न हो तो उस पर अपना कब्जा कर ले।

2. यदि यह पासपोर्ट खो जाए तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को तथा निकटतम पुलिस स्टेशन को अथवा यदि बंगलादेश में खोए तो निकटतम भारतीय मिशन तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

3. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत् अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

विनियम

1. नवीकरण के लिए आवेदन पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने से पहले करना चाहिए लेकिन सामान्यतया इसकी अवधि समाप्त होने से तीन महीने से अधिक पहले नहीं।

2. इस पासपोर्ट के होने से धारक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह बंगलादेश के वीसा एवं आप्रवास विनियमों एवं भारत के उत्प्रवासन नियमों का पालन न करे।

3. (1) पन्द्रह साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।

IndiaCode

(2) पन्द्रह साल से कम आयु के बच्चों का नाम उनकी माता अथवा पिता के पासपोर्ट में शामिल किया जा सकता है जिसके भी साथ वे जा रहे हों।

4. इस पासपोर्ट को अपने आवास वाले देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

अनुसूची-III-भाग-III

(देखें नियम 11)

प्ररूप पी–7

भारत–श्रीलंका पासपोर्ट का प्ररूप

(मुख-पृष्ठ)

भारत–श्रीलंका पासपोर्ट

संप्रतीक

भारत गणराज्य

(आंतरिक मुख-पृष्ठ)

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

..... में

..... को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।

भारत सरकार

पासपोर्ट

यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलंका के बीच सीधी यात्रा के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी अन्य देश की यात्रा के लिए न किया जाए।

पासपोर्ट का नम्बर

वाहक का नाम

भारत/श्रीलंका में स्थायी पता

गांव या कस्बा

थाना

जिला राज्य प्रांत

साथ हैं बच्चे

राष्ट्रिकता

(पृष्ठ 2)

विवरण

व्यवसाय

जन्म स्थान और जन्म की तारीख

अधिवास

कद मी० से०मी०

आंखों का रंग

बालों का रंग

पहचान के प्रकट चिह्न

पिता का नाम व उसका पता

यदि महिला विवाहिता अथवा विधवा है तो पति का नाम और पता

बच्चे

नाम	जन्म की तारीख	लड़का/लड़की
1.		
2.		
3.		
4.		

(पृष्ठ 3)

वाहक का फोटो

फोटो

वाहक के हस्ताक्षर

टिप्पणी

(पृष्ठ 4)

अवधि बढ़ाई न जाए तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :—

नवीकरण

(पृष्ठ 5)

नवीकरण

(पृष्ठ 6 से 16)

बीजा

(पृष्ठ 17 से 31)

पृष्ठांकन

(पृष्ठ 32)

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की यात्रा के लिए है।

2. इस पासपोर्ट के अपने पास होने से वाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्रीलंका के वीजा तथा आप्रवास विनियमों और भारत के परावास विनियमों का पालन न करें।

3. (i) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।

(ii) पन्द्रह साल से कम उम्र के बच्चे, माता या पिता के पासपोर्ट में, जिसके भी साथ वे जा रहे हों, शामिल किए जा सकेंगे।

IndiaCode

4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा ।

5. जिस देश में निवास हो, उससे दूसरे देश को पासपोर्ट डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए ।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है । इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए । यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के "पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी" को या (यदि पासपोर्टधारी श्रीलंका में हो तो) भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए ।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार-प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए ।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है । ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दें ।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे ।

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)

विनियम

(अंग्रेजी में)

चेतावनी

(अंग्रेजी में)

अनुसूची III–भाग–III

(देखें नियम II)

प्ररूप पी-8

भारत–श्रीलंका पासपोर्ट का प्ररूप

(1964 और 1974 के करारों के अधीन देश प्रत्यावर्तियों के लिए)

(मुख आवरण)

भारत–श्रीलंका पासपार्ट

(1964 और 1974 के करारों के अधीन देश प्रत्यावर्तियों के लिए)

संप्रतीक

भारत गणराज्य

(आंतरिक मुख पृष्ठ)

संप्रतीक

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना किसी रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो ।

..... में

.....

.....

..... को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया ।

(पृष्ठ 1)

इस पासपोर्ट में 16 पृष्ठ हैं ।

भारत सरकार

पासपोर्ट

यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलंका के बीच सीधी यात्रा के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी अन्य देश की यात्रा के लिए न किया जाए ।

पासपोर्ट का नम्बर

वाहक का नाम

पता

भारत में	श्रीलंका में
.....	
.....	
.....	

साथ हैं बच्चे

राष्ट्रिकता

भारत के नागरिक

(पृष्ठ 2)

विवरण

व्यवसाय

जन्म स्थान और जन्म की तारीख

अधिवास

कद मी० सें०मी०

आंखों का रंग

बालों का रंग

पहचान का प्रकट चिह्न

यदि महिला विवाहिता अथवा विधवा है तो उसके पति का नाम

बच्चे

नाम	जन्म की तारीख	लड़का/लड़की
1.		
2.		
3.		
4		
5.		
6.		

IndiaCode

(पृष्ठ 3)

वाहक का फोटो

फोटो

वाहक के हस्ताक्षर

टिप्पणी

(पृष्ठ 4)

अवधि बढ़ाई न जाय तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :

.....

नवीकरण

(पृष्ठ 5)

टिप्पणी

भारत का हाई कमीशन, कोलम्बो (श्रीलंका)

भारत का सहायक हाई कमीशन, कैंडी (श्रीलंका)

पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

(1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका करार)

प्रमाणित किया जाता है कि पासपोर्ट में जिस व्यक्ति के विवरण दिए गये हैं उसे मैंने भारत के नागरिक के रूप में सं० दिनांक द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किया है ।

तृतीय सचिव/अताशे/सक्षम प्राधिकारी

(पृष्ठ 6 से 11)

पृष्ठांकन

(पृष्ठ 12 से 15)

बीजा

(पृष्ठ 16)

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की यात्रा के लिए है ।

2. इस पासपोर्ट के वाहक के पास होने से वाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्रीलंका के बीजा तथा आप्रवास विनियमों और भारत के उत्प्रवास विनियमों का पालन न करें ।

3. (i) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा ।

(ii) पन्द्रह साल से कम उम्र के बच्चे माता या पिता के पासपोर्ट में, जिसके भी साथ वे जा रहे हों, शामिल किए जा सकेंगे ।

4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा ।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है । इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए । यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के "पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी" को या (यदि पासपोर्टधारी श्रीलंका में हो तो) भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए ।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार को अदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए ।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है ; ऐसी सूरत में, पासपोर्ट-धारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दें ।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे ।

अनुसूची 4

(नियम 8 देखिये)

पासपोर्टों और यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन-पत्रों के बारे में देय फीस की अनुसूची

क्रम सं०	आवेदन पत्र की विशिष्टियां	मान या फीस		
		भारत	विदेश वर्ग "क" देश	विदेश वर्ग "ख" देश (कृपया अंत में टिप्पण 2 देखिये)
1	2	3	4	5
1.	साधारण पासपोर्ट जो पहली बार अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए विधिमान्य है	50 रु०	50 रु०	50 रु०
2.	साधारण पासपोर्ट का नवीकरण	पांच वर्ष के लिए 50 रु० या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 10 रु०		
3.	साधारण पासपोर्ट के बदले पासपोर्ट की दूसरी प्रति के इस आधार पर जारी किए जाने के लिए कि वह खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है या किसी अन्य कारण से ।	50 रु०	50 रु०	50 रु०
1.	आपात-प्रमाणपत्र जो पहली बार छह मास के लिए विधिमान्य हैं	—	15 रु०	10 रु०

1	2	3	4	5
5.	आपात-प्रमाणपत्र का नवीकरण (एक बार में तीन मास के लिए दो नवीकरण)	—	7.25 रु०	5 रु०
6.	आपात-प्रमाणपत्र के बदले जो खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है आपात प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति।	—	15 रु०	10 रु०
7.	पहचान प्रमाणपत्र जो पहली बार अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए विधिमान्य है।	20 रु०	30 रु०	20 रु०
8.	पहचान प्रमाणपत्र का नवीकरण (प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए दो वर्ष के लिए)।	10 रु०	15 रु०	10 रु०
9.	पहचान प्रमाणपत्र के बदले, जो खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है पहचान प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति।	20 रु०	30 रु०	20 रु०
10.	(i) साधारण पासपोर्ट पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या अन्य प्रकीर्ण सेवा (जो इस प्रविष्टि की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रकीर्ण सेवा नहीं है)।	20 रु०	30 रु०	20 रु०
	(ii) जब वर्तमान साधारण पासपोर्ट के सभी पृष्ठ समाप्त हो गए हैं तब उनमें पूरक पुस्तिका जोड़ना।	10 रु०	15 रु०	10 रु०
	(iii) आपात प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या प्रकीर्ण सेवा।	—	7.25 रु०	5 रु०
	(iv) पहचान पत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या प्रकीर्ण सेवा।	10 रु०	15 रु०	10 रु०
11.	भारत और बंगला देश पासपोर्ट के बीच यात्रा के लिए भारत बंगलादेश पासपोर्ट जो पहली बार अधिक से अधिक तीन वर्ष के लिए विधिमान्य है।	15 रु०	—	15 रु० (बंगला देश में)
12.	भारत-बंगला देश पासपोर्ट का नवीकरण।	3 वर्ष के लिए 15 रु० या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 5 रु०	—	3 वर्ष के लिए 15 रु० या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 5 रु० (बंगला देश में)
13.	भारत-बंगला देश पासपोर्ट के बदले, जो खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है, पासपोर्ट की दूसरी प्रति जारी करना।	15 रु०	—	15 रु० (बंगला देश में)
14.	भारत-बंगला देश पासपोर्ट पर प्रकीर्ण सेवाएं।	5 रु०	—	5 रु० (बंगला देश से)
15.	जब वर्तमान भारत-बंगलादेश पासपोर्ट के सभी पृष्ठ समाप्त हो गए हैं तब नई पुस्तिका जारी करना।	10 रु०	—	10 रु० (बंगला देश)
16.	भारत-श्रीलंका पासपोर्ट जो पहली बार अधिक से अधिक चार वर्ष के लिए विधिमान्य है।	8 रु०	—	8 रु० (श्रीलंका में)
17.	भारत-श्रीलंका पासपोर्ट का नवीकरण।	चार वर्ष के लिए 8 रु० या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 2 रु०	—	चार वर्ष के लिए 8 रु० या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 2 रु० (श्रीलंका)
18.	भारत-श्रीलंका पासपोर्ट पर प्रकीर्ण सेवा।	2 रु०	—	2 रु० (श्रीलंका में)
19.	ऐसे पासपोर्ट के बदले, जो खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है नया भारत-श्रीलंका पासपोर्ट जारी करना।	8 रु०	—	8 रु० (श्रीलंका में)
20.	जब वर्तमान पासपोर्ट के सभी पृष्ठ समाप्त हो गए हैं तब नया भारत-श्रीलंका पासपोर्ट जारी करना।	5 रु०	—	5 रु० (श्रीलंका में)
21.	नियम 13 के परन्तुक के अधीन किसी भी देश के लिए अतिरिक्त पासपोर्ट जो पहली बार एक वर्ष के लिए विधिमान्य है।	10 रु०	10 रु०	10 रु०
22.	मद 21 में निर्दिष्ट अतिरिक्त पासपोर्ट की विधिमान्यता का विस्तार।	प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 10 रु० कुल दस वर्ष की अवधि तक		

टिप्पणी :

1. जब कभी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पहली बार विहित अवधि से कम अवधि के लिए जारी किया गया है तब इस प्रकार की विहित अवधि में निःशुल्क अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा।

IndiaCode

2. वर्ग "क" में देश हैं :—

(क) उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के सभी देश,

(ख) यूरोप में सभी देश जिसके अन्तर्गत सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ भी है,

(ग) पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में सभी देश जिन में यमन जनवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य, यमन अरब गणराज्य, सूडान और सोमालिया नहीं हैं ।)

(घ) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, जापान, हांगकांग, सिंगापुर ।

वर्ग "ख" में देश हैं :—

वर्ग "क" के अधीन देशों को छोड़कर शेष सभी देश ।

अनुसूची—5

(नियम 19 देखिए)

पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने से संबंधित शर्तें :—

1. पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज उसमें विनिर्दिष्ट देशों की यात्रा के लिए है और अन्य देशों की यात्रा के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

2. पासपोर्ट या दस्तावेज का प्रयोग उन देशों की यात्रा के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ।

3. पासपोर्ट या यात्रा दास्तानेज किसी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए ।

4. पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए ।

5. पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का धारक उसकी सुरक्षा, अभिरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है । इसे जानबूझ कर खोना नहीं चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए या नष्ट नहीं करना चाहिए । अस्वैच्छिक खोने या नष्ट होने की दशा में ऐसे खोने या नाश के तथ्य और परिस्थितियों की रिपोर्ट भारत में निकटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को या (यदि पासपोर्टधारक विदेश में है) तो निकटतम भारतीय मिशन या पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तुरन्त करनी चाहिए ।

6. पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और न उसे किसी प्रकार से विकृत करना चाहिए और न ही उस पर सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को कोई पृष्ठांकन करना चाहिए ।

7. यदि यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में बालकों की विशिष्टियां सम्मिलित हैं तो बालक अकेले यात्रा नहीं करेंगे ।

8. उन बालकों को जिनके नाम उनके माता-पिता या विधिक संरक्षक के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में सम्मिलित हैं, 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पृथक् पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए ।

9. जब विदेशों में भारत के किसी नागरिक को भारत सरकार के खर्चे पर भारत में संप्रत्यावर्तित किया जाता है तब वह अपना पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज उसकी संप्रत्यावर्तित करने वाले भारतीय मिशन या पोस्ट को समर्पित करेगा और भारत में सीधी रवानगी के लिए आपात प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा ।

10. आपात प्रमाणपत्र का धारक भारत में आने पर उसे आप्रवास चैकपोस्ट को समर्पित करेगा ।

11. यदि वह पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारण करने के लिए अपात्र हो जाता है तो वह पासपोर्ट प्राधिकारी को समर्पित किया जाना चाहिए ।

12. राजनयिक या सरकारी पासपोर्ट स्वतः ही विधिमान्य होना समाप्त हो जाएगा यदि वह व्यक्ति जिसे वह जारी किया गया था, ऐसे कृत्य करना समाप्त कर देता है जिनके कारण वह राजनयिक या सरकारी पासपोर्ट पाने का पात्र हुआ था । ऐसी दशा में पासपोर्ट, पासपोर्ट प्राधिकारी को समर्पित किया जाएगा ।

[सं. वी. 1/405/2/18/76]

माधव केशव मंगलमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 1980

G.S.R. 691(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Passports Rules, 1980.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Passports Act, 1967 ;

(b) 'Form' means a form set out in Schedule III ;

(c) 'Miscellaneous service', in relation to a passport or travel document, includes :—

(i) varying the entries in a passport or travel document ;

(ii) making additional endorsement on a passport or travel document in respect of foreign countries :

(iii) adding a supplementary passport or travel document booklet, when all the pages in an existing passport booklet have been almost used up ; or

(iv) any other service in respect of a passport or travel document which the holder thereof may require ;

(d) 'Schedule' means a Schedule appended to these rules ;

(e) 'Section' means a section of the Act.

3. Passport authorities : (1) In addition to the Central Government, the officers specified in column (2) of Schedule I shall, subject to the provisions of sub-rule (2), be the passport authorities for all purposes of the Act and these rules.

(2) An officer referred to in column (2) of Schedule I shall, for the purpose of issue of a passport or travel document, exercise jurisdiction in respect of applications for such issue made by persons ordinarily residing in the territories specified in the corresponding entries in column 3 of the said Schedule ;

IndiaCode

Provided that in exceptional and urgent cases the said officer may entertain an application for the issue of a passport or travel document from a person ordinarily residing in any other territory in India and may issue a passport or travel document to such person for a period not exceeding twelve months and transfer the application to the passport authority having jurisdiction in the territory wherein such person ordinarily resides.

Provided further that no such transfer of an application for passport under the preceding proviso shall be made if the applicant has migrated from the territory where he was originally resident with the intention of settling down in the territory within the jurisdiction of the passport authority which issued the passport under the preceding proviso.

4. **Classes of persons to whom the Different classes of passports and travel documents may be issued** : The classes of persons to whom the classes of passports or travel documents referred to respectively in sub-section (1) and sub-section (2) of section 4 may be issued, shall be as specified respectively in part I or part II as the case may be, of Schedule II.

5. **Form of applications** : An application for the issue of a passport or travel document or for the renewal thereof or for any miscellaneous service shall be made in the appropriate Form set out therefor in Part I of Schedule III and in accordance with the procedure and instructions set out in such form.

Provided that, in the course of any inquiry under sub-section (2) of section 5, a passport authority may require an applicant to furnish such additional information, documents or certificates, as may be considered necessary by such authority for the proper disposal of the application.

6. **Financial Guarantee: (1)** An application for the issue of an ordinary passport shall be accompanied by a financial guarantee executed in the Form set out in Part II of Schedule III.

Provided that no such guarantee shall be necessary in the case of an applicant if he:

(i) furnishes a certificate from a Member of Parliament or Member of the Legislative Assembly of a State or Union territory or Member of Legislative Council of a State or Member of Metropolitan Council, Delhi, or an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government, or a Judicial Magistrate of the first class or a Sub-Divisional Magistrate or an Additional District Magistrate or a District Magistrate to the effect that he has satisfied himself that the applicant is financially sound;

(ii) pays income tax or property tax or agricultural income tax;

(iii) produces a certificate of solvency from any revenue authority, not below the rank of Tehsildar, to the effect that the applicant is financially solvent to the extent of rupees ten thousand or more;

(iv) furnishes an entry permit issued by a foreign Government in his favour;

(v) proceeds out of India under the Indian Emigration Act, 1922 (7 of 1922) and the provisions of that Act have been complied with;

(vi) proceeds out of India on an employment voucher or offer of employment;

(vii) proceeds out of India on scholarship o fellowship ;

(viii) proceeds on pilgrimage or to neighbouring foreign countries

(ix) furnishes a ticket in proof of the journey to a foreign country and return therefrom;

(x) proceeds to a foreign country to join the following relations of the applicant, namely, father, mother, husband, wife, brother, sister, son or daughter and produces a sponsorship declaration by any such relation of the applicant signed (a) before an authorised officer of the local Government or Notary Public and attested by the Consular Officer in the Indian Missions or Post in that country; or (b) before the Consular Officer in the Indian Mission;

(xi) being a minor, accompanies his parent or legal guardian who has been exempted from producing financial guarantee in terms of any of the preceding clauses;

Provided further that no such guarantee shall be necessary in respect of an applicant abroad if :—

(i) the passport authority abroad is satisfied that he has sufficient means to maintain himself abroad; or

(ii) he was exempted from producing financial guarantee at the time orlginal passport was issued to him.

(2) The financial guarantee shall not be withdrawn by the guarantor so long as all the costs, charges and expenses payable or reimbursable to the Government of India in pursuance of the guarantee are fully discharged or till a fresh acceptable guarantee is furnished by the holder of the passport.

7. **Named foreign country** : Each of the following countries shall be a named foreign country for the purposes of the explanation to sub-section (1) of section 5, namely :—

(i) Bangladesh; and

(ii) Sri Lanka.

8. **Fee payable on applications** : The fee payable on every application mentioned in column (2) of Schedule IV shall be at the rates specified in the corresponding entry in column (3), (4) or (5), as the case may be, of that Schedule.

9. **Collection of fees** : All fees payable in respect of such applications shall be remitted by money order to, or paid in cash at the counter of, the passport authority concerned or by way of passport fee postal stamp, stating in the coupon or receipt the particulars in respect of which such fees have been remitted or paid.

10. **Refund of fees** : Fees shall be refunded if applied for within one year from the date of payment thereof in the following cases :—

(i) if after paying the fee, a person does not submit the application for issue of passport or travel document or for any service on a passport or travel document already held by him, as the case may be;

(ii) if the fee paid is in excess of the prescribed fee; and

(iii) if the fee paid is for a service for which no fee has been prescribed.

11. **Forms of passport or travel document**—A passport or travel document issued under the Act shall be in the appropriate form set out in part III of Schedule III.

12. **Duration of passports or travel documents**

(1) An ordinary passport shall continue in force for a period of five years from the date of its issue.

(2) An India-Bangladesh passport shall continue in force for a period of three years from the date of its issue.

(3) An India-Sri Lanka passport shall continue in force for a period of four years from the date of its issue.

(4) An emergency certificate shall continue in force for a period of six months from the date of its issue.

(5) A certificate of identity shall continue in force for a period of two years from the date of its issue.

(6) A diplomatic and an official passport shall continue in force for a period to be decided in each case by the Central Government or the passport authority which issues the passport.

Provided that the total life of a diplomatic or an official passport shall be ten years from the date of its issue.

13. **Issue of additional passport or travel document in special circumstances**—A prerson holding a passport or travel document shall not be entitled to another passport or travel document unless he surrenders to the passport authority the passport or travel document already held by him.

Provided that separate passports or travel documents may be issued to the same person in respect of different countries if it is necessary so to do for facilitating his visits to such countries.

14. **Appellate authorities**—For the purpose of the Act and these rules, the appellate authority to whom an appeal shall lie from an order specified in column (1) of the Table below shall be that specified in the corresponding entry of column (2) thereof and every such appeal shall be filed within thirty days from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the appellant.

TABLE

Orders appealed against	Appellate authority
(1)	(2)
1. An order of the passport authority, other than the Central Government, under— (i) clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of Section 5; or (ii) clause (b) of the proviso section 7; or (iii) sub-section (1) or sub-section (3) of section 10.	The Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi.
2. An order under sub-section (6) of section 10 of the authority to whom the passport authority is subordinate.	Additional Secretary or Secretary, Ministry of External Affairs, New Delhi.

15. **Fee Payable in respect of appeal**—Every petition for appeal shall be accompanied by a fee of twenty-five rupees which shall be paid in cash at the treasury and a copy of the receipted challan shall be enclosed with such petition.

16. **Procedure to be followed by appellate authority**—On receipt of an appeal, the appellate authority may call for the records of the case from the authority which passed the order appealed against and after giving the appellant a reasonable opportunity of representing his case, pass final order.

17. **Authority and form for special endorsement under section 19 :**

(1) The authority for the purposes of section 19 shall be the passport authority.

(2) Every special endorsement referred to in section 19 shall be in the following form, namely :—

FORM

This passport is hereby made valid under section 19 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), for travel through, or visiting,.....for a maximum period of.....days/months from the date of this endorsement.

18. **Inspection of passport or travel document**—The authorities for the purposes of clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall be—

(i) any passport authority;

(ii) any officer of Police not below the rank of a Sub-Inspector; and

(iii) any officer of Customs empowered by general or special order of Central Government in this behalf.

19. **The conditions of a passport or travel document**—The conditions subject to which a passport or travel document shall be issued or renewed shall be as set out in Schedule V.

20. **Repeal**—The Passports Rules, 1967 are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of the said Rules or anything duly done or suffered, or any right, privilege, obligation or liability acquired, accepted or incurred, thereunder.

SCHEDULE I

(See rule 3)

Sl. No.	Passport authorities	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	(a) Regional Passport Officer, Ahmedabad, (Regional Passport Office, Ahmedabad)	The State of Gujarat and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
	(b) Assistant Passport Officer, Ahmedabad, (Regional Passport Office, Ahmedabad).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Ahmedabad, (Regional Passport Office, Ahmedabad)	-do-
	(d) Superintendent, Ahmedabad (Regional Passport Office, Ahmedabad)	-do-
2.	(a) Regional Passport Officer, Calcutta, (Regional Passport and Emigration Office,Calcutta).	The States of West Bengal, Tripura and Sikkim.
	(b) Public Relations Officer, Calcutta (Regional Passport and Emigration Office, Calcutta).	-do-
	(c) Superintendent, Calcutta, (Regional Passport and Emigration Office, Calcutta).	-do-
3.	(a) Regional Passport Officer, Delhi, (Regional Passport and Emigration Office, New Delhi).	The Union Territory of Delhi.

IndiaCode

1	2	3
	(b) Assistant Passport Officer, Delhi (Regional Passport and Emigration Office, New Delhi).	The Union Territory of Delhi.
	(c) Public Relations Officer, Delhi, (Regional Passport and Emigration Office, New Delhi).	-do-
	(d) Superintendent, Delhi, (Regional Passport and Emigration Office, New Delhi).	-do-
4.(i)(a)	Regional Passport Officer, Chandigarh, (Regional Passport Office, Chandigarh).	The State of Punjab (excluding the districts of Jullundur, Kapurthala, Hoshairpur, Amritsar and Gurdaspur), and the States of Haryana and Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.
	(b) Assistant Passport Officer, Chandigarh, (Regional Passport Office, Chandigarh).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Chandigarh, (Regional Passport Office, Chandigarh).	-do-
	(d) Superintendent, Chandigarh, (Regional Passport Office, Chandigarh).	-do-
(ii)(a)	Passport Officer, Jullundur, (Pasport and Emigration Office, Jullundur).	The districts of Jullundur, Kapurthala, Hoshiarpur, Amirtsar and Gurdaspur in the State of Punjab.
	(b) Assistant Passport Officer, Jullundur, (Passport and Emigration Office, Jullundur).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Jullundur, (Passport and Emigration Office, Jullundur).	-do-
	(d) Superintendent, Jullundur, (Passport and Emigration Office, Jullundur).	-do-
5.	(a) Regional Passport Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry (excluding the district of Mahe).
	(b) Assistant Passport Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	-do-
	(d) Superintendent, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	-do-
6.(i)(a)	Regional Passport Officer, Cochin, (Regional Passport and Emigration Office, Cochin)	The State of Kerala (excluding the districts of Cannanore, Kozhikode, Malapuram and Palghat), and the Union Territory of Lakshadweep.
	(b) Assistant Passport Officer, Cochin, (Regional Passport and Emigration Office, Cochin).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Cochin, (Regional Passport and Emigration Office, Cochin).	-do-
	(d) Superintendent, Cochin, (Regional Passport and Emigration Office, Cochin).	-do-
6.(ii)(a)	Passport Officer, Kozhikode, (Passport Office, Kozhikode)	The districts of Cannanore, Kozhikode, Malapuram and Palghat in the State of Kerala and the district of Mahe in the Union Territory of Pondicherry.
	(b) Public Relations Officer, Kozhikode, (Passport Office, Kozhikode).	-do-
	(c) Superintendent, Kozhikode, (Passport Office, Kozhikode).	-do-
7.	(a) Passport Officer, Bombay, (Passport and Emigration Office, Bombay).	The State of Maharashtra.
	(b) Assistant Passport Officer, Bombay, (Passport and Emigration Office, Bombay).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Bombay, (Passport and Emigration Office, Bombay)	-do-
	(d) Superintendent, Bombay, (Passport and Emigration Office, Bombay).	-do-
8.	(a) Passport Officer, Lucknow, (Passport Office, Lucknow).	The State of Uttar Pradesh.
	(b) Assistant Passport Officer, Lucknow, (Passport Office, Lucknow).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Lucknow, (Passport Office, Lucknow).	-do-
	(d) Superintendent, Lucknow, Passport Office, Lucknow).	-do-
9.	(a) Passport Officer, Hyderabad, (Passport Office, Hyderabad).	The State of Andhra Pradesh.

IndiaCode

1	2	3
	(b) Assistant Passport Officer, Hyderabad, (Passport Office, Hyderabad).	The State of Andhra Pradesh.
	(c) Public Relations Officer, Hyderabad, (Passport Office, Hyderabad).	-do-
	(d) Superintendent, Hyderabad, (Passport Office, Hyderabad).	-do-
10.	(a) Passport Officer, Bangalore, (Passport Office, Bangalore).	The State of Karnataka
	(b) Assistant Passport Officer, Bangalore, (Passport Office, Bangalore).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Bangalore, (Passport Office, Bangalore).	-do-
	(d) Superintendent, Bangalore, (Passport Office, Bangalore)	-do-
11.	(a) Passport Officer, Jaipur, (Passport Office, Jaipur).	The State of Rajasthan
	(b) Assistant Passport Officer, Jaipur, (Passport Office, Jaipur).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Jaipur, (Passport Office, Jaipur).	-do-
	(d) Superintendent, Jaipur, (Passport Office, Jaipur).	-do-
12.	(a) Passport Officer, Bhopal, (Passport Office, Bhopal).	The State of Madhya Pradesh.
	(b) Public Relations Officer, Bhopal, (Passport Office, Bhopal).	-do-
	(c) Superintendent, Bhopal, (Passport Office, Bhopal).	-do-
13.	(a) Passport Officer, Bhubaneshwar, (Passport Office, Bhubaneshwar).	The State of Orissa
	(b) Assistant Passport Officer, Bhubaneshwar, (Passport Office, Bhubaneshwar).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Bhubaneshwar, (Passport Office, Bhubaneshwar).	-do-
	(d) Superintendent, Bhubaneshwar, (Passport Office, Bhubaneshwar).	-do-
14.	(a) Passport Officer, Patna, (Passport Office, Patna).	The State of Bihar
	(b) Assistant Passport Officer, Patna, (Passport Office, Patna).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Patna, (Passport Office, Patna).	-do-
	(d) Superintendent, Patna, (Passport Office, Patna).	The State of Bihar.
15.	(a) Regional Passport Officer, Gauhati, (Regional Passport Office, Gauhati).	The States of Assam, Nagaland, Meghalaya and Manipur and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.
	(b) Assistant Passport Officer, Gauhati, (Regional Passport Office, Gauhati).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Gauhati, (Regional Passport Office, Gauhati).	-do-
	(d) Superintendent, Gauhati, (Regional Passport Office, Gauhati).	-do-
16.	(a) Passport Officer, Srinagar, (Passport Office, Srinagar).	The State of Jammu and Kashmir.
	(b) Assistant Passport Officer, Srinagar, (Passport Office, Srinagar).	-do-
	(c) Public Relations Officer, Srinagar (Passport Office, Srinagar).	-do-
	(d) Superintendent, Srinagar, (Passport Office, Srinagar).	-do-
17.	(a) Chief Secretary, Government of Goa, Daman and Diu, Panaji.	The Union Territory of Goa, Daman and Diu.
	(b) Passport Officer, Home Department, (Passports) Government of Goa, Daman and Diu.	-do-
18.	(a) Chief Commissioner, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Port Blair.	The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
	(b) Deputy Commissioner, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Port Blair.	-do-
	(c) Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.	-do-
	(d) Judicial Secretary, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.	-do-
	(e) Assistant Secretary, (Confidential Cell), Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.	-do-
19.	Consular Officers or Consular Agents in Indian Missions or Posts outside India.	The area within the consular jurisdiction of the Indian Mission or Post concerned.
20.	(a) Deputy Secretary (PV Division), Ministry of External Affairs, New Delhi.	Whole of India in respect of diplomatic and official passports.

1	2	3
	(b) Under Secretary, PV Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Whole of India in respect of diplomatic and official passports.
	(c) Section Officer, PV Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	-do-

SCHEDULE II

(See rule 4)

PART I—PASSPORTS

Classes of Passport	Classes of persons to whom issuable
1	2
1. Ordinary Passport	Citizens of India
2. India-Bangladesh Passports	-do-
3. India-Sri Lanka Passports	-do-
4. India-Sri Lanka Passports (For Repatriates—1964 and 1974 agreements)	Persons who have been granted Indian Citizenship under the India-Sri Lanka Repatriation Agreements of 1964 & 1974.
5. Official Passports	(i) Government officials and non-officials when their passages are paid by the Govt. and the members of their families, when such members of their families also proceed out of India at the expense of Government.
	(ii) Officials of Reserve Bank of India, the State Bank of India, nationalised banks, Corporation, Undertakings and other institutions owned or controlled by the State and officials of autonomous bodies set up by the State, proceeding out of India on the official work of their respective organisations; and the members of their families when such members also proceed out of India at the expense of such organisations.
	(iii) Permanent Govt. officials on deputation to foreign Governments, the United Nations Organisations and its specialised Agencies and other inter-Governmental Organisations/ agencies recognised by the Govt. of India, and the members of their families, provided such deputation is arranged through the Govt. of India.
	(iv) Government officials sponsored by the Ministries in the Government of India and their departments, for attending international conferences, seminars and meetings or for undergoing training either independently or under any of the scholarship schemes for the time being in force, provided the deputation out of India is treated as duty and the Government official is allowed to draw his duty pay and allowances in India and the members of the family of such official deputed out of India for a period not less than twelve months, when travelling with or joining such official at his post abroad.
	(v) Fully dependent mother/father/ mother-in-law/brother/sister of an officer belonging to Indian Foreign Service (Branch B) and fully dependent mother-in-law/brother/sister of an officer belonging to Indian Foreign Service (Branch A), when proceeding out of India, with the permission of the Government, to reside with the officer at the place of his posting abroad.
	(iv) Any other person who, in the opinion of the Govt. of India should have an official passport because of the nature of his foreign mission.
	NOTE :—The following persons shall not be entitled to the issue of official passports, namely:—
	(a) persons sponsored by a Government department for attending International Conferences, seminars and meetings or for studies of training outside India either independently or under any of the scholarship schemes for the time being in force when such persons go on study leave or leave of any other kind;
	(b) persons proceeding outside India at their own expense on commercial or other purposes although a department of the Govt. certifies that such purpose would be to Govt. interest.
6. Diplomatic passports :—	(i) (a) Officers of the Indian Foreign Service (Branch A) when proceeding out of India on official business.
	(b) Such officers of the Indian Foreign Service (Branch B) and other officers of the Ministry of External Affairs or other Ministries or Department of the Government of India who are proceeding abroad on official business or are posted to Indian Missions or Posts abroad, as may be determined by the Foreign Service Board in the Ministry of External Affairs.
	(c) Wife or official hostess or husband, as the case may be, dependent sons under 24 years and dependent unmarried daughters, dependent father and dependent mother of an

IndiaCode

1	2
	officer referred to in (a) and (b) above, when travelling with or joining such officer at his post abroad. NOTE :—Any member of the family referred to in (c) above of an officer who is actually holding a diplomatic assignment abroad may also be issued a diplomatic passport for staying in a country other than the country of accredition of the officer for study or other purposes approved by the Central Government; a diplomatic passport issued in such a case shall, however, be surrendered when the diplor matic assignment of the officer is terminated or when the officer is posted back to the headquarters. (ii) (a) A person having or having been granted a diplomatic status either because of the nature of his foreign mission or because of the position he holds, as may be determined by the Central Government. (b) Wife or husband, as the case may be, of a person referred to in (a) above when accompanying the said person

PART II—TRAVEL DOCUMENT

Classes of Travel Documents	Classes of persons to whom issuable
1	2
1. Emergency Certificate	(i) Citizens of India abroad who have been refused passport, or whose passports have been impounded or revoked, of who have to be repatriated to India. (ii) Persons who have produced prima facie evidence of Indian citizenship but the evidence is considered insufficient to justify the issue of a passport without further verification. (iii) Citizens of India abroad whose passports have been lost, stolen or damaged, and to whom new passports cannot be issued without verification of their passport particulars by reference to the offices of Issue. (iv) Persons of Indian origin abroad when allowed to come to India for settling down here.
2. Certificate of Identity	(i) Stateless persons residing in India, foreigners, whose country is not represented in India, or whose national status is in doubt. (ii) Persons exempted under Section 22 from the operation of the provisions of clause (a) of sub Section (2) of section 6.

SCHEDULE III

(See rules 5, 6 & 11)

PART I

(see rule 5)

FORM FA (P) I

Government of India

Ministry of External Affairs

PASSPORT APPLICATION FORM

(For ordinary & Indian-Sri Lanka Passports)

space for affixing passport fee postal stamp

CAUTION : It is an offence under the Passports Act, 1967 to knowingly furnish false information or suppress material information.

This application form can be used for issue of an ordinary international passport/India-Sri Lanka passport by an adult for himself/herself or by a parent/legal guardian for issue of a passport to a person below 18 year's of age.

To

The Passport Officer
(fill in name of office here)

For official use only
FOR PAYMENT AT PASSPORT OFFICE/ STATE BANK COUNTER Receipt No. Date
Initials of Cashier

A. FEE :—

1. Amount paid Rs.

2. Date of payment

3 How have you paid it—

(a)	(b)	(c)	(d)
(by passport fee stamp)	(at Passport Office counter)	(at State Bank counter in Passport Office)	(by money order-receipt to be attached)

B. PHOTOGRAPH

In all, 5 copies are required-one to be pasted here and four to be enclosed with the application.

IndiaCode

The photograph must be not less than 50 mm x 60 mm in size and show a frontal view of full face.

PLEASE DO NOT MARK FRONT OF PHOTOGRAPH.

Space for Pasting photograph

C. PARTICULARS OF APPLICATION/MINOR FOR WHOM THE PASSPORT IS REQUIRED :

1. Full name in capital letters (Please do not use any initials)
2. Maiden name in case applicant is married women/widow.
3. Aliases, if any
4. (a) Have you ever changed your name ?
 (b) If yes, what was your previous name ?
5. Date of birth
 (Date Month Year
6. Place of birth
 (Village/town) (District)
 State
7. Father's name in full (Please do not use initials)
8. Husband's name in full in case applicant is married woman/widow

D. PERSONAL DESCRIPTION :

1. Profession and present occupation
2. Heightm.....cm
3. Colour of eyes
4. Colour of hair
5. Visible distinguishing marks

E. CHILDREN UNDER 15 TO BE INCLUDED IN PASSPORT :

Name of child	Place of birth	Date of birth	Relationship to applicant
1.			
2.			
3.			

Please attach attested copies of birth certificates or school certificates showing dates of birth.

F. ADDRESS :

1. Permanent address :
 (House No./street) (Village/town)
 (District) (State)
2. (a) Present address :
 (House No./Street) (Village/town)

 (District) (State)
 (b) If you have not resided at the above address continuously for the last two years, please give the other addresses where you have resided during this period :
3. Name and address of relative to be intimated in case passport-holder faces any difficulty abroad :
 Name :
 Relationship.
 Full address
 Phone No, if any.

G. CITIZENSHIP :

1. (a) Did you ever possess any other citizenship ?
 (b) If you, did you acquire Indian citizenship by registration or naturalisation ?
 (Please attach a certified copy of the citizenship document in case of first application for passport)
2. (a) If you are a married woman/widow, is/was your husband an Indian citizen ?
 (b) If the answer to (a) above is 'No', what is/was your husband's nationslity and when were you married to him ?
3. (a) Did you migrate from the territory included in Pakistan or Bangladesh ? ,
 (b) If yes, from which country and when did you migrate?
4. (a) Were you born in a country other than India, Pakistan or Bangladesh ?
 (b) If yes, what was your father's citizenship ?
 (i) at the time of your birth ; and
 (ii) as on 26-1-1950.
 (c) what is your father's place of birth ?
5. Did your father acquire another citizenship ?
 (a) If yes, what nationality ; and
 (b) when ?

H. PREVIOUS PASSPORTS

1. Have you ever applied for a passport/travel document before ?
2. If passport/travel document was issued, please indicate the following details and attach the passport/travel document :—
 Date of issue :
 Place of issue:
3. If passport/travel document is not attached, indicate what happened to it.
4. Please enclose a copy of the official communication received by you in case :—
 (i) a passport/travel document was first refused to you and the order of refusal was not unconditionally withdrawn/cancelled subsequently ; or
 (ii) your passport/travel document was first impounded and was not unconditionally restored to you subsequently.
5. If your name was included in either parent's passport a certificate about deletion may be produced or passport/travel document produced for deletion.

IndiaCode

I. INFORMATION REQUIRED UNDER SECTION 6 OF THE PASSPORTS ACT, 1967 :

1. Have you at any time during the period of five years immediately preceding the date of this application been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment ?

2. Are any proceedings pending against you before a criminal court in India ?

3. Has a warrant or summons for your appearance, or a warrant for your arrest or an order prohibiting your departure from India been issued by any court ?

4. (a) Have you ever been repatriated from abroad at Government expense ?

(b) If yes, have you repaid to Government the expenditure incurred ?

If the answer to any of the above question is 'Yes', please furnish details in a separate sheet duly signed.

J. FOR GOVERNMENT/PUBLIC SECTOR EMPLOYEES ONLY :

1. Are you working in Central or State Government Department, statutory body or public sector undertaking ?

2. If yes, please give details of your job and full office address of the employer or enclose a 'No Objection Certificate' in original from the employer.

K. SUPPLEMENTARY INFORMATION :

1. What countries do you propose to visit ?

2. What is the purpose of your visit ?
(study, business, tourism, pilgrimage, employment, etc).

3. What are your educational qualifications ?

(i) General

(ii) Professional/technical.

L. REFERENCES :

Name and address of two responsible persons in your locality who would be prepared to vouch for you :

1.

2.

M. DECLARATION OF APPLICANT :

I solemnly declare that :

(i) I have not voluntarily acquired the citizenship of another country ;

(ii) I have not lost, surrendered or been deprived of my citizenship of India ; and

(iii) The information given by me in reply to the questions in this form is true.

Place

Date

Signature of applicant

NOTE:— Please give your specimen signatures in the space provided at the end.

N. DECLARATION OF PARENT OR LEGAL GUARDIAN IN CASE PASSPORT IS FOR A MINOR :

I affirm that the particulars given above are in respect of.....son/daughter ofof whom I am the parent/legal guardian.

I undertake to be entirely responsible for his/her expenses.

I solemnly declare that he/she has not lost, surrendered or been deprived of his/her citizenship of India and that the information given in respect of him/her in this application is true.

Place

Date Signature of applicant

O. VERIFICATION CERTIFICATE

(This certificate is not a pre-requisite for obtaining a passport)

1. I hereby certify that I have satisfied myself that the particulars in the above application for a passport furnished by Shri/Smt./Kumari.....Son/wife/daughter of... are correct. I regard the applicant to be a suitable person to be considered for issue of a passport. I have satisfied myself that the applicant is a citizen of India.

2. I have satisfied myself that the applicant is financially sound.

Telephone :

Signature.....

Office : (Name in capital letters).....

Residence :

Place Designation

Date : Office stamp..... .. .

NOTE :—If the verifying authority is not in a position to certify the financial soundness of the applicant, that authority may delete paragraph 2 from the verification certificate in which event, the applicant will have to produce a financial guarantee unless otherwise exempted from doing so under rule 6 of the Passports Rules, 1979.

CAUTION

This is an important document and should be signed after due consideration (To be signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly of State or Union Territory or Member of Legislative Council of a State or Member of Metropolitan Council, Delhi or an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government or a Judicial Magistrate of the first class or a Sub-divisional Magistrate, an Additional District Magistrate or a District Magistrate).

Two specimen signatures of left thumb impression (if male) or right thumb impression (if female) of the applicant/minor on whose behalf application is made.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 2

GOVERNMENT OF INDIA

PASSPORT APPLICATION FORM FOR INDIANS RESIDING ABROAD

CAUTION : It is an offence under the Passports Act, 1967 to knowingly furnish false information or suppress material information.

This application form can be used by Indian nationals residing abroad (by an adult for himself/herself or by a parent/legal guardian for minor child/ward) for issue of an ordinary international passport/India-Sri Lanka passport.

IndiaCode

To

(Please fill in the name of the Indian Mission/Post to whom you are applying for the passport).

Space for Pasting photo-graph

(In all three copies of the photograph are required—one to be pasted above and two to be enclosed with the application. The photograph should be 50 mm × 60 mm in size and show a frontal view of full face).

(A) FEE

1. Amount of the fee paid :
2. How you have paid it :

(B) PARTICULARS OF APPLICANT/MINOR FOR WHOM THE PASSPORT IS REQUIRED

1. Full name in capital letters : (Please do not use any initials).
2. Maiden name in case applicant is married woman/widow :
3. Aliases, if any.
4. If you ever changed your name, what was your previous name :
5. Date of birth :
6. Place of birth :
7. Father's name in full : (Please do not use initials) :
8. Mother's name in full :
9. Husband's name in full in case applicant is married woman/ widow :
10. Profession and present occupation:
11. Height : M Cm:
12. Colour of eyes.
13. Colour of hair :
14. Visible distinguishing mark :

(C) CHILDREN UNDER 15 YEARS OF AGE TO BE INCLUDED IN PASSPORT

Name of child	Place of birth	Date of birth	Relationship to the applicant
1.			
2.			
3.			
4.			

Please attach attested copies of birth certificate(s) or school certificate(s) showing date(s) of birth and both the parents' passports.

(D) ADDRESSES

1. Present address :
2. Permanent address :
3. Telephone Number, if any
4. Particulars of the relative to be intimated in case passport holder faces any difficulty abroad :

 Name :

 Relationship :

 Full address :

 Phone number, if any

(E) CITIZENSHIP

Are you a citizen of India by birth/descent/registration/ naturalisation.

(In case of first application for passport, please attach a certified copy of the citizenship document).

(F) PREVIOUS PASSPORT

1. Please attach the passport/travel document previously held by you, and indicate the following details :

 Number:

 Date of issue:

 Place of issue :

2. Were you ever refused passport ?
3. Was your passport ever ordered to be impounded or revoked ?

 (If answer to 2 or 3 above is yes, please enclose a copy of the official communication received by you).

(G) DECLARATION OF APPLICANT

I solemnly declare that :

(i) I have not voluntarily acquired the citizenship of another country :

(ii) I have not lost., surrendered or been deprived of my citizenship of India ; and

(iii) the information given by me in reply to the questions in this form is true.

Place

Date Signature of applicant

NOTE: —Please give your specimen signatures in the space provided at the end.

(H) DECLARATION OF PARENT OR LEGAL GUARDIAN IN CASE APPLICATION IS ON BEHALF OF A MINOR

I affirm that the particulars given above are in respect of....son/daughter ofof whom I am the parent/ legal guardian.

I undertake to be entirely responsible for his/her expenses.

I solemnly declare that he/she has not lost, surrendered or been deprived of his/her citizenship of India and that the information given in respect of him/her in this application is true.

Signature of the parent/legal guardian

The specimen signatures or left thumb impression (if male) or right thum impression (if female) of the applicant/minor on whose behalf the application is made.

1 2

IndiaCode

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 3

APPLICATION FOR THE ISSUE OF A DIPLOMATIC/ OFFICIAL PASSPORT

(This application must be accompanied by two passport size photographs—one of them duly attested on reverse.)

1. (a) Full name (in block letters).
 (b) Aliases, if any (in block letters).
2. Profession.
3. Present appointment
4. Permanent home address.
5. Present address.
6. Place of birth
7. Date of birth
8. Father's/Husband's name.
9. Personal particulars
 (a) Height
 (b) Colour of eyes
 (c) Colour of hair
 (d) Visible distinguishing marks, if any.
10. Particulars of children below 15 years of age, if to be included in the passport.

Name	Date of birth	Place of birth	Relationship
1.			
2.			
3.			
4.			

11. (a) Have you ever applied to any other authority for any other passport ?
 (b) If so, please give details.
12. Particulars of the previous passport held, if any :
 (a) Number
 (b) Date of issue
 (c) Authority and place of issue.
 (d) If diplomatic/official passport previously held by the applicant was returned to the Ministry of External Affairs or any other authority, please indicate where are when it was returned.

N.B.:—The previous passport,if in the custody of the applicant, should be submitted together with this application.

13.

Countries to be visited on official duty	Exact nature of Official duty	Period of stay giving approximate dates

14. Mode of travel and route :

Place.....

Date.....

.....

Signature of applicant or parent in case application is for a minor.

CERTIFICATE

1. *I hereby certify that Sh./Smt./Kum.....is
(Full name and designation)
proceeding abroad on official duty as indicated in item 13 above.

2.*I hereby certify that Sh./Smt/Kum.....is
(Full name)
son/wife/daughter of Sh./Smt.....who is
(Full name and designation)
proceeding abroad on official duty as indicated in item 13 above.

*Strike out whichever is not applicable.

Signature of Head of Office

.....

Designation

IMPORTANT: Categories of persons to whome official and diplomatic passports are issuable are mentioned in Part I of the Schedule II to the Passports Rules, 1980. Persons not covered by the said Schedule shall not be eligible for official and diplomatic Passports.

Please give two specimen signatures or thumb impressions (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant in the space provided above.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 4

APPLICATION FOR ISSUE OF AN EMERGENCY CERTIFICATE

(This application must be accompanied by three passport size photographs.)

I. FEE

1. Amount paid
2. Date of payment
3. Mode of payment.

II. PERSONAL PARTICULARS

1. (a) Full name (in block letters)
 (b) Aliases, if any (in block letters)
2. Previous names, if you have ever changed your name.
3. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee
4. Father's name
5. Husband's name in case of a married woman/widow/divorcee
6. Permanent address in India
7. Present address abroad
8. Present national status
9. Profession
10. Place of birth
11. Date of birth
12. Height

IndiaCode

13. Colour of eyes

14. Colour of hair

16. Visible distinguishing marks, if any.

III. PARTICULARS OF CHILD/CHILDREN BELOW 15 YEARS OF AGE TO BE INCLUDED IN THE EMERGENCY CERTIFICATE.

Name	Date of birth	Place of birth	Relationship
1.			
2.			
3.			
4.			

IV. PARTICULARS OF THE PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT PREVIOUSLY HELD.

1. Did you ever hold a passport/travel document ?

2. If so, please furnish the following particulars :

(a) Number

(b) Date of issue

(c) Authority and place of issue.

N.B.:—The Passport/travel document, if available, should be submitted together with this application.

3. If not a position to submit the passport/travel document, please indicate the reasons therefor:....
.....
..... ...

V. REASONS OF APPLYING FOR AN EMERGENCY CERTIFICATE:
.....
.....
.....
.....

VI. DECLARATION OF APPLICANT

I solemnly declare that :—

(i) I am citizen of India/person of Indian origin ;

*(ii) I have not voluntarily acquired citizenship of another country; and

(iii) the information given by me in reply to the question in this form is true.

Place....

Date....

.....
Signature or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

Two specimen signatures or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

1	2

*If in possession of a Citizenship of any other country involuntarily please give details.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(PX) 5

APPLICATION FOR THE ISSUE OF CERTIFICATE OF IDENTITY

(This application must be accompanied by three passport size photographs—one duly attested by local police authority—and Residential permit).

I. FEE

1. Amount
2. Date of payment
3. Mode of payment

II. PERSONAL PARTICULARS

1. (a) Full name (in block letters)
 (b) Aliases, if any (in block letters)
2. Previous name, if you have ever changed your name.
3. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee
4. Father's name
5. Husband's name in case of a married woman/widow/divorcee
6. Last permanent address abroad
7. Present address
8. Place/Country of origin
9. Present national status
10. Period of residence in India
11. Profession
12. Place of birth
13. Date of birth
14. Height.
15. Colour of eyes
16. Colour of hair
17. Visible distinguishing marks, if any.

III. PARTICULARS OF CHILD/CHILDREN BELOW 15 YEARS OF AGE, TO BE INCLUDED IN THE CERTIFICATE OF IDENTITY.

Name	Date of birth	Place of birth	Relationship
1.			
2.			
3.			
4.			

IV. 1. PURPOSE OF APPLYING FOR THE CERTIFICATE OF IDENTITY.:

2. COUNTRIES FOR WHICH THE CERTIFICATE OF IDENTITY IS REQUIRED.

V. DECLARATION OF APPLICANT.

I, solemnly declare that:—

(a) I am of.....nationality/stateless.

(b) I have not obtained an Indian/foreign travel document before because
.....
.....

Indiacode

(c) the information given by me in reply to the questions in this form is true.

Place.....

Date.....

.....
Signature or thub impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

Two specimen signatures or thumb impressions (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

1. 2.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 6

APPLICATION FOR RENEWAL OF VALIDITY OF ALL TYPES OF PASSPORTS/TRAVEL DOCUMENTS.

1. (a) Full Name

(in block letters)

(b) Aliases, if any

2. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee

3. Father's/husband's name

4. Present address

5. Permanent address

6. Particulars of the Passport/travel document
 (a) Number
 (b) Date of issue
 (c) Authority and place of issue
 (d) Valid until

7. (a) Period upto which renewal is required
 (b) Reasons for renewal.

8. Amount of fee paid

9. Mode of payment. (Please enclose money order receipt if the fee was sent by money order).

10. DECLARATION

*I declare that I have not lost or surrendered my citizenship of India since the above passport or travel document was issued to me. I further declare that I have no other passport or travel document in my possession.

*Strike out if not applicable.

Place.....

Date.....

.....
Signature or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 7

APPLICATION FOR ADDITIONAL ENDORSEMENT ON ALL TYPES OF PASSPORTS/TRAVEL DOCUMENTS

1. (a) Full name
(in block letters)
(b) Aliases, if any

2. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee

3. Present address

4. Permanent address

5. Particulars of the passport/travel document
 (i) Number
 (ii) Date of issue
 (iii) Authority and place of issue
 (iv) Valid until

6. Country/Countries for which additional endorsement is required

7. Reasons for additional endorsement asked for :—

8. Amount of fee paid :

9. Mode of payment of fee :

N.B.—Please enclose money order receipt if the fee was sent by money order.

Place.....

Date.....

.....
Signature or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 8

APPLICATION FOR MISCELLANEOUS SERVICES ON ALL TYPES OF PASSPORTS/TRAVEL DOCUMENTS.

1. (a) Full name
(in block letters)
(b) Aliases, if any
(block letters)

2. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee

3. Present address

4. Permanent address

5. Particulars of the Passport/travel document
 (i) Number
 (ii) Date of issue
 (iii) Authority and place of issue
 (iv) Valid until

6. (i) Exact nature of service required
 (ii) Reasons for request of the service

7. Amount of fee paid

8. Mode of payment

N.B.—Please enclose money order receipt if the fee was sent by money order.

Place.....

Date.....

.....

Signature or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 9

APPLICATION FOR ISSUE OF A NEW BOOKLET OR ADDITIONAL SHEETS WHEN ALL THE PAGES OF PASSPORT (ALL TYPES) OR TRAVEL DOCUMENT HELD BY THE APPLICANT ARE USED UP

(This application must be accompanied by two passport size photographs. If there is a change in the appearance, the photographs should be duly attested on reverse by a Gazetted Officer/ Notary Public).

1. (a) Full name
(in block letters)

(b) Aliases, if any
(in block letters)

2. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee

3. Present address

4. Permanent address

5. Particulars of the passport/travel document

(i) Number

(ii) Date of issue

(iii) Authority and place of issue

(iv) Valid until

6. Amount of fee paid

7. Mode of payment

N.B. Please enclose money order receipt if the fee was sent by money order.

Place.....

Date.....

.....

Signature or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

Two specimen signatures or thumb impressions (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 10

APPLICATION FOR THE ISSUE OF ALL TYPES OF DUPLICATE PASSPORTS/TRAVEL DOCUMENTS WHICH HAVE BEEN LOST, STOLEN OR DAMAGED

(This application should be made in DUPLICATE and be accompanied three passport size photographs).

I. FEE

1. Amount paid

2. Date of payment

3. Mode of payment

N.B.—Please attach money order receipt if fee was sent by money order

II. PERSONAL PARTICULARS

1. (a) Full name
(in block letters)

(b) Aliases, if any
(in block letters)

2. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee

3. Father's name

4. Husband's name in case of a married woman/widow/divorcee

5. Permanent address in India

6. Present address

7. Profession

8. Height

9. Place of birth

10. Date of birth

11. Colour of eyes

12. Colour of hair

13. Visible distinguishing marks, if any.

III. PARTICULARS OF THE CHILD/CHILDREN INCLUDED IN THE PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT WHICH HAS BEEN LOST, STOLEN OR DAMAGED

	Name	Date of birth	Place of birth	Relationship
1.				
2.				
3.				
4.				

IV. PARTICULARS OF THE PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT WHICH HAS BEEN LOST, STOLEN OR DAMAGED.

1. Number

2. Date of issue

3. Authority and place of issue

4. Valid until

5. State briefly the circumstances in which the passport/travel document was lost, stolen or damaged.

Indiacode

N.B.— In case of lost or theft, please attach a copy of the Police report.

Place.....

Date.....

.....

Signature or thumb impression (left in case of male and right in case of female) of the applicant.

Two specimen signatures or thumb impressions (left in case of male and right in case of female) of the applicant.

SCHEDULE III—PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 11

APPLICATION FOR INDIA-BANGLADESH PASSPORT

This application form can be used by an adult for himself/herself or by a parent/legal guardian for a person below 18 years of age.

(This application should be accompanied by four passport size photographs duly attested by a Gazetted officer or a Notary Public).

I. FEE

1. Amount paid
2. Date of payment
3. Mode of payment

II. PARTICULARS OF THE APPLICANT/MINOR FOR WHOM THE PASSPORT IS REQUIRED

1. (a) Full name (in block letters)
 (b) Aliases, if any (in block letters)
2. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee
3. Previous name if you have ever changed your name
4. Father's name
5. Husband's name in case of a married woman/widow/divorcee
6. Permanent address in India
7. Present address
8. Profession
9. Height
10. Place of birth
11. Date of birth
12. Colour of eyes
13. Colour of hair
14. Visible distinguishing marks, if any

III. PARTICULARS OF CHILD/CHILDREN BELOW 15 YEARS OF AGE TO BE INCLUDED IN PASSPORT

	Name	Date of birth	Place of birth	Relationship
1.				
2.				
3.				
4.				

IV. PARTICULARS OF PREVIOUS PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT

1. Did you ever hold a passport/travel document ?
2. If so, please furnish the following particulars :
 (a) Number
 (b) Date of issue
 (c) Authority and place of issue :

N.B.—The passport/travel document should be submitted together with this application (if not available, please state Reasons) :—

.....
.....
.....

V. DECLARATION BY APPLICANT

(Required when applicant is a major)

I solemnly declare that :

(i) I have not voluntarily acquired citizenship of any other country ;

(ii) I have not lost, surrendered or been deprived of my citizenship of India ;

(iii) The information given by me in reply to the questions in this form is true

Place———

Date———

.....

Sigbature or thumb impression (left in case of a male and right in case of female) of the applicant.

VI. DECLARATION BY PARENT OR LEGAL GUARDIAN IN CASE PASSPORT IS FOR A MINOR.

I solemnly affirm that I am the parent/legal guardian of——— son/daughter of———, whose particulars are given above.

I solemnly undertake to be entirely responsible for his/her maintenance aborad and for payment of any expenditure incurred by the Government of India on his/her repatriation.

I solemnly affirm that he/she has not lost, surrendered or been deprived on his/her citizenship of India ; that he/she does not hold citizenship of any other country ; and that the information given in respect of him/her in this application is true.

Place———

Dtae———

.....

Signature or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the parent/legal guardian.

Two specimen signatures or thumb impressions (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant/minor on whose behelf application is made.

1	2

IndiaCode

SCHEDULE III—PART III

(See rule 5)

FORM EA(P) 12

APPLICATION FOR INDIA / SRI LANKA PASSPORT

(For repatriates—1964 and 1974 agreements)

(Three unmounted passport-size bust photographs, taken full face, of the applicant, should be enclosed with application. The photographs should have, on the reverse, the cerificate "true photo of....." signed by the Estate Superintendent in the case of applicants from estates, and by D.R.O., Gram Sevaka or M.P. for the area in the case of others)

CAUTION

Applicants are warned that if any of the information supplied by them below is found to be false or inaccurate, not only will their applications be liable to be rejected or their passports, if already granted be liable to be cancelled but they will render themselves liable to prosecution.

1. Full name, with alias, if any (in block letters)
 (i) (a) Have you ever changed your name ? if so, what was your previous name ?
2. Are you married or single ?
3. If married woman/widow, state maiden name.
4. Place (Village, town, district, etc.) and date of birth (attach documents in support, if possible).
5. Profession :
6. Educational Qualifications :
7. Present occupation :
8. (i) Personal Particulars of applicant :
 (a) Height m. cm.
 (b) Colour of eyes :
 (c) Colour of hair :
 (d) Visible distinguishing marks, if any :
 (ii) of Children below 15 years if to be included in the passport.

	Full Name	Sex	Date of birth
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

9. Father's name and place and date of birth :
10. If married woman or widow, husband's or late husband's nationality name and place of birth.
11. How long have you been continuously residing in Sri Lanka ?
12. Have you at any time resided in any other country including Pakistan ? State countries and period.
13. What was your occupation while residing in the countries mentioned in col. 12 ?
14. Have you ever applied for a travel document and been refused ? If so, when and under what circumstances ?
15. Have you ever been issued with a passport which was later impounded or cancelled ? If so give particulars.
16. Present address in Sri Lanka.
17. Names and addresses of two responsible persons in India who would be prepared to vouch for you.
 (1)
 (2)
18. Whether applicant prefers an India-Sri Lanka passport or an Emergency Certificate ?

Two specimen signatures or thumb impressions of applicant

Two specimen signatures or thumb impressions of wife if to be included in passport.

I solemnly declare that I am an India citizen and that I have not lost, surrendered or been deprived of my Indian citizenship and that the information given by me in reply to the questionnaire is true.

Place : Signature or thumb impression of applicant

Dtae :

I, the undersigned.....residing at.....holder of India-Sri Lanka passport/Emergency Certificate No..... dated.....hereby apply for the grant of passport towhose parent/legal guardian I am. I undertake to be entirely responsible for all his/her expenses.

Signature/Thumb Impression of Parent/Gurdian

This certificate is required only when the application is made on behalf of a person below 18 years of age.

SCHEDULE III—PART III

(See rule 6)

FORM OF GUARANTEE

(To be executed on non-judicial stamp paper)

Whereas.....son/wife/daughter of.....is desirous of proceeding abroad accompanied by his/her.....

I/We the undersigned....residing at..... [hereinafter called the Guarantor(s)] do hereby agree promise and undertake jointly and severally to provide suitable maintenance for and pay the travelling expenses of the said.....during the period he/she/they shall be abroad and, in the event of my/our failing to provide or cause to be provided such maintenance and travelling expenses as aforesaid, I/we jointly and severally hereby agree to pay the President of India and his successors in office and assigns (hereinafter called "the Government of India") without any demur all such costs and expenses as may be incurred by the Government of India on the maintenance and repatriation of the said.....and wife/children in the event of his/her/their repatriation to India.

In the event of the said.....dying abroad, I/we hereby undertake and agree to reimburse to the Government of India all such costs and expenses as may be incurred for her/his/their burial/cremation.

And it is hereby further agreed by me/us jointly and severally:—

(i) that the Government of India shall be at liberty to grant to the said.....such indulgence as it may think proper without discharging or impairing my/our liability hereunder; and

(ii) that the authority to determine the costs, charges and expenses in such cases referred to above shall rest exclusively with the Government of India and that it shall be binding on me/us and my/our heirs, executorts, administrators, and legal representatives as a continuing guarantee to pay such costs, charges and expenses as

IndiaCode

may be determined by the Government of India, without any objection whatsoever.

This guarantee will remain subsisting until discharged by the Government in writing.

Signed by the guarantor:—

1.....
Address :
(2)
Address :.
on theday of.....198.....

..... in the presence of :—

Place of guarantee (1)..
Address
(2)
Address.....

*Here insert the names of wife/or wife and Children, if a joint passport is to be issued.

N.B. 1. This form must be accompanied by :—

(i) documentary proof to the effect that the signatory/signatories pay income tax, property tax or agricultural income tax, or

(ii) a certificate of solvency from any revenue authority, not below the rank of a tehsildar, to the effect that the guarantor is financially solvent to the extent of Rs. 10,000 or more.

2. Words/phrases not applicable in the form should not be reproduced in the guarantee.

3. The value of the non-judicial stamp paper will be as specified in the Stamp Act in force in a State when the Bond is executed.

SCHEDULE III—PART III

(See rule 11)

FORM P-1

FORM OF DIPLOMATIC PASSPORT

(Front Cover)

DIPLOMATIC PASSPORT

Emblem

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front Cover)

Emblem

These are to request and required in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at
theday of..19..
BY ORDER OF THE
PRESIDENT OF INDIA

(Page 1)

This passport contains 32 pages

DIPLOMATIC PASSPORT
INDIA

NO. OF PASSPORT———————

NAME OF BEARER———————

ACCOMPANIED BY HIS WIFE———————

(MAIDEN NAME)

AND———————CHILDREN

NATIONAL STATUS

(page 2)

DESCRIPTION Wife

Profession———————

Place and date of birth ———————

Domicile ———————

Height———M.——— Cm.———M.——— Cm.———

Colour of eyes ———————

Colour of hair ———————

Visible distinguishing

Marks———————

CHILDREN

Name Date of Birth Male/Female

(page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

(PHOTO) SIGNATURE OF BEARER

WIFE

(PHOTO) SIGNATURE OF WIFE

(page 4)

Countries for which this passport is valid

Unless renewed the Validity of this Passport expires on

Issued at———————

Date———————

(Page 5)

Home address

Permanent address in India :—

(Including Village or Town, District and State)

Name of Father/Husband and his full address
(Including Village or Town, District and State)

OBSERVATIONS

(Page 6)

RENEWALS

(Page 7 to 29)

VISAS

IndiaCode

(Pages 30-31)

Foreign Exchange for Travelling Expenses

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

Date	Country of travel for which exchange has been sold	Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange

(Page 32)

REGULATIONS

(In Hindi)

CAUTION

(In Hindi)

(Inside back cover)

REGULATIONS

Validity of Diplomatic Passports

1. A Diplomatic Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive a Diplomatic Passport. In such an event, a Diplomatic Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indians abroad.

2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

3. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;

(b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.

4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

5. Passport should not be sent out of any country by post.

CAUTION

1. This passport is a valuable Document. It should not be allowed to pass into the possession of any unauthorised person. If lost or destroyed, the fact and circumstances should be immediately reported to the Ministry of External Affairs, New Delhi. Or (if the holder is abroad) to the nearest Indian Mission and to the Local Police.

2. This passport must not be altered or mutilated in any way nor any endorsement made on it by any person other than a duly authorised official.

3. This Passport may be cancelled or withdrawn at any time at the discretion of the Government of India in which event the holder must surrender the Passport to the nearest Passport issuing authority.

4. The Passport is a sure means of establishing the holder's identity and should, therefore be carried personally.

SCHEDULE III—Part III

(See rule 11)

FORM P-2

FORM OF OFFICIAL PASSPORT

(Front Cover)

OFFICIAL PASSPORT

Emblem

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

Emblem

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at.....
the.....day of....19..

SEAL BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

(Page 1)

This Passport contains 32 pages

OFFICIAL PASSPORT

INDIA

NO. OF PASSPORT.....

NAME OF BEARER.....

ACCOMPANIED BY HIS WIFE.....

(MAIDEN NAME)

ANDCHILDREN

NATIONAL STATUS

.....

.....

(Page 2)

DESCRIPTION		Wife
Profession		
Place and date of birth		
Domicile		
Height	M.....C.M.	M.....C.M.
Colour of eyes		
Colour of hair		
Visible distinguishing marks		

CHILDREN

Name	Date of Birth	Male/Female

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

(PHOTO)

SIGNATURE OF BEARER

WIFE

(PHOTO)

SIGNATURE OF WIFE

IndiaCode

(Page 4)

Countries for which this Passport is valid

.....

.....

Unless renewed the validity of this Passport expires on

.....

Issued at.....

date.....

(Page 5)

Home Address

Permanent address in India :-
(Including Village or Town, District and State)

Name of Father/Husband and his full address
(Including Village or Town, District and State)

(Page 6)

RENEWALS

(Pages 7 to 29)

VISAS

(Pages 30-31)

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

Date	Country of travel for which exchange has been sold	Amount issued or refunded (sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange

(Page 32)

REGULATIONS
(in Hindi)

CAUTION
(In Hindi)

(Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF OFFICIAL PASSPORTS

1. An Official Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive an Official Passport. In such an event, an Official Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indians abroad.

2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

3. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;

(b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.

4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

5. Passport should not be sent out of any country by post.

CAUTION

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE BE CARRIED PERSONALLY.

SCHEDULE III—Part III

(See rule 11)

FORM P-3

FORM OF ORDINARY PASSPORT

(Front Cover)

PASSPORT

Emblem

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

Emblem

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her, every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at.....the.....
day of.....19....
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

(page 1)

This Passport contains 32 pages

PASSPORT

INDIA

NO. OF PASSPORT.....

NAME OF BEARER.....

ACCOMPANIED BY HIS WIFE.....

(MAIDEN NAME)

AND.....CHILDREN

NATIONAL STATUS

.....

(Page 2)

DESCRIPTION	Wife
Profession.....	
Place and date of birth.....	
Domicile.....	
Height.....M. ...Cm.....	M.....Cm.....
Colour of eyes.....	
Colour of hair.....	
Visible distinguishing marks..	

CHILDREN

Name	Date of Birth	Male/Female
.....		
.....		
.....		

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

(PHOTO)

SIGNATURE OF BEARER

WIFE

(PHOTO)

SIGNATURE OF WIFE

(Page 4)

Countries for which this Passport is valid

Unless renewed the validity of this Passport expires on

.....

Issued at.....

date.....

.....

(Page 5)

Home Address

Permanent address in India :—

(Including Village or Town, District and State)

.....

.....

Name of Father/Husband and his full address

(Including Village or Town, District and State)

.....

.....

OBSERVATIONS

.....

.....

(Page 6)

RENEWALS

(Page 7 to 29)

VISAS

(Pages 30-31)

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

Date	Country of travel for which exchange has been sold	Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	Stamp and Signature of Authorised Dealer selling exchange

(Page 32)

REGULATIONS (IN HINDI)

REGISTRATION (IN HINDI)

CAUTION (IN HINDI)

(Inside back cover)

REGULATIONS

1. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4 but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

2. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;

(b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.

3. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

4. Passport should not be sent out of any country by post.

REGISTRATION

It is most important that Indian citizens resident abroad should at the earliest opportunity register their names and addresses at the nearest Indian Mission. Changes of address or departure from that country should also be notified to them.

CAUTION

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERD OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE

IndiaCode

GOVERNMENT OF INDIA. IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

SCHEDULE III—Part III

(See rule 11)

FORM P-4

FORM OF EMERGENCY CERTIFICATE

(Front Cover)

GOVERNMENT OF INDIA

Emblem

EMERGENCY CERTIFICATE

(Page 1)

Emblem

EMERGENCY CERTIFICATE

No.....

This is to certify that.....has applied to me for the grant of an Emergency Certificate and that I have no reason to doubt his/her statement.

Seal Signature of Issuing Authority

Date.....

(Page 2)

DESCRIPTION

(a) Profession

(b) National Status.....

(c) Father's/Husband's name.....

(d) Place and date of birth.....

(e) Address in India.....

(f) Visible distinguishable mark, if any.....

(g) Height

(h) Colour of hair.....

(i) Colour of eyes

(Page 3)

The holder is accompanied by a child/.....children whose particulars are shown below :

Particulars of child/children

S. No.	Name	Date of birth	Sex
1.			
2.			
3.			
4.			

Photograph of Bearer

Signature of Bearer

(Page 4)

This certificate is only valid for journey tovia.....

Unless renewed the validity of this certificate expires on.....

Renewed up to.....

Issued at

Date

(Pages 5 and 6)

VISAS

N.B.—The possession of this Emergency Certificate does not exempt the holder from compliance with any immigration regulations in force in the country of destination or from the necessity of obtaining a visa when required.

SCHEDULE III—Part III

(See rule 11)

FORM P-5

FORM OF IDENTITY CERTIFICATE

(Front Cover)

GOVERNMENT OF INDIA

Emblem

IDENTITY CERTIFICATE

(Inside front cover)

Emblem

IDENTITY CERTIFICATE

This certificate is issued for the sole purpose of providing the holder with identity papers in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the national status of the holder. If the holder obtains a national passport, this certificate ceases to be valid and must be surrendered to the nearest Indian Passport Issuing Authority.

This certificate is valid for travel to Countries mentioned at page 5 and its validity expires on.....

Signature & seal of the Issuing Authority

Place.....Date.....

(Page 1)

This Identity Certificate contains 13 pages

IDENTITY CERTIFICATE

INDIA

No. of Identity Certificate.....

Name of holder.....

Nationality of origin.....

(Page No. 2)

Personal Description

Profession.....

Date of birth.....

Place of birth.....

Name of father/husband.....

Name of mother.....

Height.....

Colour of Hair.....

Colour of eyes.....

IndiaCode

(page No. 3)

Distinguishing marks.....

Present occupation.....

Last permanent address abroad.....

Present address.....

(Page No. 4)

The holder is accompanied by a child/.....children whose particulars are given below :

Particulars of Children

S. No.	Name	Date of birth	Sex
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Photograph of Holder

(Signature of Holder)

(Page No. 5)

ENDORSEMENTS

(Pages No. 6 and 7)

RENEWALS

(Pages 8 to 13)

VISAS

SCHEDULE-III PART-III

(See Rule 11)

FORM P-6

FORM OF INDIA-BANGLADESH PASSPORT FOR TRAVEL BETWEEN INDIA AND BANGLADESH

(Front Cover)

INDIA—BANGLADESH PASSPORT

Seal

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at.....
the.....date of19. .
By order of the President of the Republic of India

.....

.....

(Page 1)

This Passport contains 32 pages

GOVERNMENT OF INDIA

PASSPORT

This Passport is valid for direct travel between India and Bangladesh and may not be used for travel to any other country.

No. of Passport

Name of Bearer

Permanent Address in India

Village or Town

Police Station

District State.....

Accompanied by.....Children

National Status

(Page 2)

DESCRIPTION

Profession.....

Place, district and State of birth.....

Date of birth.....

Domicile.....

Height.....M.....Cm.....

Colour of Eyes.....

Colour of Hair.....

Vicible Distinguishing Marks.....

CHILDREN

	Name	Date of Birth	Male/Female
1.			
2.			
3.			
4.			

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

(PHOTO)

Signature of bearer

OBSERVATIONS

(Page 4)

Unless renewed the validity of this Passport expires on :

RENEWALS

(Page 5)

Name of Father and his full address
(including village or town, district and State) :—

.....

.....

.....

Indiacode

If holder is a married lady or a widow, name, occupation and address or last address of husband.

.....

.....

.....

(Pages 6 to 16)

VISAS

(Pages 17 to 30)

ENDORSEMENT

(Pages 31 and 32)

FOREIGN EXCHANGE AND TRAVELLING EXPENSE

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

Date	Amount issued or refunded (Sterling or rupees equivalent to nearest £ or Re.)	Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange

(Inside back cover)

Hindi Version

IMPORTANT

1. This passport is the property of the Government of India, and may, at the discretion of that Government, at any time, be revoked, and where the passport is so revoked, it shall be lawful for that Government to retain its possession if it is in its possession and to recover its possession if it is not in its possession.

2. In case of loss of this passport, that fact and the circumstances leading to the loss must be reported immediately to the issuing authority and the nearest police station or, if loss occurs while in Bangladesh, to the nearest Indian Diplomatic Mission and the local police.

3. This passport must not be altered or mutilated in any way nor any endorsement made on it by any person other than a duly authorised official.

REGULATIONS

1. Application for renewal must be made before the date of expiry of the passport and normally not more than three months before such expiry.

2. The possession of this passport does not exempt the bearer from compliance with Visa and Emigration regulations of Bangladesh and emigration rules of India.

3. (i) A separate passport must be taken out for each person above fifteen years of age.

(ii) Children under fifteen years of age may be included in the passport of either parent whom they accompany.

4. This passport should not be sent out of the country of residence by post.

SCHEDULE III– PART III
(See Rule 11)

FORM P-7

FORM OF INDIA-SRI LANKA PASSPORT
(Front Cover)

INDIA-SRI LANKA PASSPORT
Emblem

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her very assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at.....
theday
Seal of19..
By order of the President of the Republic of India.

(Page 1)

This Passport contains 32 pages.

GOVERNMENT OF INDIA

PASSPORT

This Passport is valid only for direct travel between India and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country.

No. of Passport.....

Name of Bearer.....

Permanent Address in India/Sri Lanka

Village or Town.....

Police Station.....

District State Province
Accompanied by Children National Status

(Page 2)

DESCRIPTION

Profession

Place and Date of Birth.....

Domicile

Heightm.....cm.....

Colour of eyes.....

Colour of hair.....

Visible distinguishing marks.....

Name of father and his address.....

If married lady or a widow name and address of husband....

.....

CHILDREN

Name	Date of birth	Male/Female
1.		
2.		
3.		
4.		

IndiaCode

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

PHOTO

Signature of bearer

OBSERVATIONS

Signature of Bearer

(Page 4)

Unless renewed the validity of this Passport expires on

RENEWALS

(Page 5)

RENEWALS

(Pages 6 to 16)

VISAS

(Pages 17 to 31)

ENDORSEMENTS

(Page 32)

REGULATION (in Hindi)

CAUTION (in Hindi)

(Inside back cover)

REGULATIONS

1. This Passport is only available for travel to Sri Lanka.

2. The possession of this Passport does not exempt the bearer from compliance with Visa & Immigration regulations of Sri Lanka and the emigration regulation of India.

3. (i) A separate Passport must be taken out for each person above fifteen years of age;

(ii) Children under fifteen years of age may be included in the Passport of either parent whom they accompany.

4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

5. This Passport should not be sent out of the country of residence by post.

CAUTION

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS IN SRI LANKA) TO THE INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT, THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S INDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

SCHEDULE III—PART—III

(See Rule 11)

FORM P-8

FORM OF INDIA-SRI LANKA PASSPORT

(FOR REPATRIATES—1964 AND 1974 AGREEMENTS)

(Front Cover)

INDIA-SRI LANKA PASSPORT

(FOR REPATRIATES—1964 AND 1974 AGREEMENTS)

EMBLEM

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

Emblem

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer pass freely without let of hindrance and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at.....
theday
of19

BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

(Page 1)

This Passport contains 16 pages.

GOVERNMENT OF INDIA

PASSPORT

This Passport is valid only for direct travel between India and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country.

No. of Passport.....

Name of bearer.....

Address

In India	In Sri Lanka
.....	
.....	
.....	

Accompanied by..... Children

National Status

Citizen of India

(Page 2)

DESCRIPTION

Profession
Place and date of birth.....
Domicile
HeightM..... Cm.
Colour of eyes.....
Colour of hair.....
Visible distinguishing marks.....
If married lady or a widow name of husband.....

IndiaCode

CHILDREN

Name	Date of birth	Male/female
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(Page 2)

PHOTOGRAPH OF BEARER

|PHOTO|

SIGNATURE OF BEARER

OBSERVATIONS

.....

(Page 4)

Unless renewed the validity of this Passport expires on :

.....

RENEWALS

(Page 5)

OBSERVATION

HIGH COMMISSION OF INDIAN IN SRI LANKA COLOMBO

ASSISTANT HIGH COMMISSION OF INDIA, KANDY (SRI LANKA)

Certificate of Registration

(India-Sri Lanka Agreements, 1964 and 1974)

It is certified that the person whose particulars are given in this Passport has been registered by me as a citizen of India under the provisions of Section 5(1) (b) Citizenship Act, 1965 vide Number..... dated.....

Third Secretary/Attache/Competent Authority.

(Pages 6 to 11)

ENDORSEMENTS

(Pages 12 to 15)

VISAS

(Page 16)

REGULATIONS (in Hindi)

CAUTION (in Hindi)

(Inside back cover)

REGULATIONS

1. This Passport is only available for travel to Sri Lanka.

2. The possession of this Passport does not exempt the bearer from complience with Visa & Immigration regulations of Sri Lanka and the immigration regulations of India.

3.(i) A Separate Passport must be taken out for each person above fifteen years of age;

(ii) Children under fifteen years of age may be included in the Passport of either parent whom they accompany.

4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

5. This Passport should not be sent out of the country of residence by post.

CAUTION

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDERS IS IN SRI LANKA) TO THE INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL .

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE HOLDER DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT, THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

SCHEDULE-IV

(See rule-8)

Schedule of fees payable in respect of applications for passports and travel documents

S. No.	Particulars of application	Scale of fees		
		India	Abroad Cat. 'A' Countries	Abroad Cat. 'B' Countries (Please see note 2 at the end)
1	2	3	4	5
1.	Ordinary passport with a maximum initial validity of five years	Rs. 50/-	Rs. 50/-	Rs. 50/-
2.	Renewal of ordinary passport	Rs. 50/- for five years or Rs. 10/- per year or part thereof.		

1	2	3	4	5
3.	Issue of duplicate passport in lieu of the ordinary passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged, destroyed or for any other such reason	Rs. 50/	Rs. 50/-	Rs. 50/-
4.	Emergency Certificate with an initial validity of six months	—	R . 15/-	R. 10/-
5.	Renewal of Emergency Certificate (two renewals for three months at a time)	—	R . 7.25	R . 5/-
6.	Duplicate Emergency Certificate in lieu of the Emergency Certificate that has been lost, stolen, damaged or destroyed	—	Rs. 15/-	Rs.10/-
7.	Certificate of Indentity with a maximum initial validity of two years	Rs. 20/-	Rs. 30 -	Rs. 20 -
8.	Renewal of Certificate of Identity (per year or part thereof for two years)	Rs. 10 -	Rs. 15 -	Rs. 10 -
9.	Duplicate Certificate of Identity in lieu of the Certificate of Identity that has been lost, stolen, damaged or destroyed	Rs. 20 -	Rs. 30 -	Rs. 20 -
10.	(i) Additional endorsement or other miscellaneous service on ordinary passport (not being a miscellaneous service referred to in item (ii) of this entry)	Rs. 10/-	Rs. 30 -	Rs. 20 -
	(ii) Adding supplimentary booklet when all the pages in an existing ordinary passport are used up	Rs. 10 -	Rs. 15 -	Rs. 10 -
	(iii) Additional endorsement or miscellaneous service on an Emergency Certificate	—	Rs. 7.25	Rs. 5 -
	(iv) Additional endorsement or miscellaneous service on a Certificate of Identity	Rs. 10/-	Rs. 15	Rs. 10/-
11.	India-Bangladesh Passport for travel between India and Bangladesh with a Maximum initial validity of three years	Rs. 15/-	—	Rs. 15/- (In Bangladesh)
12.	Renewal of India-Bangladesh passport	Rs 15/- for 3 years or Rs. 5/- per year or part thereof		Rs. 15/- for 3 years or Rs. 15/- per year or part thereof (In Bangladesh)
13.	Issue of a duplicate passport in lieu of the India-Bangladesh passport which has been lost, stolen, damaged or destroyed	Rs. 15/-	—	Rs. 15/- (In Bangladesh)
14.	Miscellaneous services on an India-Bangladesh passport	Rs. 5/-	—	Rs. 5/- (In Bangladesh
15.	Issue of a new booklet when all the pages in an existing India-Bangladesh passport are exhausted	Rs. 10/-	—	Rs. 10/- (In Bangladesh)
16.	India-Sri Lanka Passport with a maximum initial validity of four years	Rs. 8/-	—	Rs. 8/- (In Sri Lanka)
17.	Renewal of India-Sri Lanka passport	Rs. 8/- for four years or Rs. 2/- per year or part thereof	—	Rs. 8/- for four years or Rs. 2/- per year or part thereof (In Sri Lanka)
18.	Miscellaneous services on India-Sri Lanka passport	Rs. 2/-	—	Rs. 2/- (In Sri-Lanka)
19.	Issue of fresh India-Sri Lanka passport in lieu of one lost, stolen, damaged or destroyed	Rs. 8/-	—	Rs. 8/- (In Sri-Lanka)
20.	Issue of new India-Sri-Lanka passport when all pages in existing passport are exhausted	Rs. 5/- —		Rs. 5/- (In Sri Lanka)
21.	Additional passport for any country under the proviso to rule-13 upto initial validity of one year	Rs. 10/-	Rs. 10/-	Rs. 10/-
22.	Extension of validity of Additional passport referred to in item-21	Rs. 10/- per year or part thereof upto a total period of ten years.		

NOTE:— 1. Wherever a Passport or travel document has been issued intitially for a lesser period than the prescribed period, further extension upto such prescribed period shall be given gratis.

IndiaCode

2. Category 'A' countries are:

(a) All countries in North and South America;

(b) all countries in Europe including U.S.S.R.;

(c) all countries in West Asia and North Africa (Excluding People's Democratic Republic of Yemen, Yemen Arab Republic, Sudan and Somalia;

(d) Australia, New Zealand, Japan, Hongkong and Singapore.

Category 'B' Countries are :

All countries excluding countries mentioned under category 'A'

SCHEDULE-V

(See rule 19)

CONDITIONS RELATING TO THE ISSUE OF PASSPORTS AND TRAVEL DOCUMENTS

1. A Passport or travel document is available for travel only to the countries specified therein and must not be utilised for travel to other countries.

2. A Passport or travel document must not be utilised for travel to countries not recognised by the Government of India.

3. A Passport or travel document should not be sent out of any country by post.

4. A Passport or travel document should not be allowed to pass into the possession of any unauthorised person.

5. The holder of a Passport or travel document is personally responsible for its safe custody. It must not be wilfully lost, damaged or destroyed. In case of an unintentional loss or destruction, the fact and circumstances of such loss or destruction should be immediately reported to the nearest passport authority in India or (if the holder of the passport is abroad) to the nearest Indian Mission or Post and to the local police.

6. A Passport or travel document must not be altered or mutiliated in any way nor any endorsement made in it by any person other than a duly authorised official.

7. If the particulars of children are included in the passport or travel document of parent or guardian, as the case may be, the children shall not travel alone.

8. Children, whose names are included in the passport or travel document of their parent or legal guardian, should apply for a separate passport on attaining the age of 15 years.

9. When a citizen of India abroad is to be repatriated to India at the expense of Government of India, he shall surrender his passport or travel document to the Indian Mission or Post repatriating him and obtain in Emergency Certificate for direct return to India.

10 The holder of an Emergency Certificate, on arrival in India, shall surrender it to the Immigration Check Post.

11. The passport or travel document should be surrendered to the passport authority if he ceases to be eligible to hold one.

12. A diplomatic or official passport shall automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to received a diplomatic or official passport. In such an event, the passport shall be surrendered to a passport authority.

[NO. VI/402/2/18/76]

M.K. MANGALMURTI, Joint Secy.

Indiacode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980

IndiaCode